in the public sector, that company notified the features of the new project. Madam, in the case of Enron, in the case of seven projects, nothing has been notified. Everything is kept in the dark. The House has not been informed about it though new policy decisions have been taken. Therefore, Madam, I request you to ask the Government or advise the Government to declare, to supply to the Members copies of all agreements signed and also the copies of the MoUs signed by the different electricity boards with the foreign companies. It has also appeared in the newspapers that the Central Government has given a counter-guarantee. All this information should be supplied to the House and to the Members of Parliament. The nation should know as to what is happening in the power sector.

श्री रामदास अग्रवाल (राजस्थान): महोदया, मैं. ...(व्यवधान)

उपसभापति: अभी तो देखिए, अग्रवाल साहब, आपका इसके बाद नाम है, मगर एक बजे आज एडजर्न करते हैं। इसके प्राइवेट मैंबर्स बिल के बाद एक हम लोगों का यह जो शार्ट ड्यूरेशन डिसक्शन लिस्टेड है। I don't know what the House wishes.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM (Uttar Pradesh): Madam, it should be taken up on Monday.

THE DEPUTY CHAIRMAN: On Monday, we have some other business.

श्री संघ प्रिय गौतम: अगले हफ्ते।

THE DEPUTY CHAIRMAN: If this is the wish of the House, if you don't want to discuss it today, then I will ask the Minister not to come back to the House because I have with me seven Zero Hour mentions and 18 Special Mentions. Then, I don't know how many associations and dissocitions will be there. I doubt that we will be able to finish this business in time to take up the Short-Duration Discussion on such an important issue. Both the Ministers, the External Affairs Minister and the Human Resource Development Minister, are here. Is it the wish of the House that we should not take it up today?

श्री संघ प्रिय गौतम: आज नहीं हो पाएगा, लेकिन मंत्रियों के दर्शन से क्यों वंचित रहें?

उपसभापति: मंत्री तो आते हैं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAMESHWAR THAKUR): Madam, it may be taken up sometime next week.

SHRI M.A. BABY (Kerala): Madam, next week.

THE DEPUTY CHAIRMAN: If the House wishes, we would not take it up today.

The house is adjourned till 2.30 p.m. for lunch.

The House then adjourned for lunch at two minutes past one of the clock.

———

The House re-assembled after lunch at thirty-three minutes past two of the clock,

THE VICE CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE) in the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN: Now, we will take up further discussion on the resolution moved by Shri Viren J. Shah on 6th May, 1994, that is, regarding atrocities on women in various parts of the country.

———

RESOLUTION RE. MEASURES TO TACKLE INCREASING CRIMES IN THE COUNTRY, PARTICULARLY AGAINST WOMEN

THE VICE-CHAIRMAN: Miss Mayawati. Not present. With the permission of the House, may I now call Smt. Anandiben Jethabhai Patel? She has to catch her train. If the Congress Party agrees, then, I can give her a chance. Okay? Now, Smt. Anandiben Jethabhai Patel.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Atrocities on women are committed by women only!

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (Andhra Pradesh): We are talking about men like you.

श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल (गुजरात): महोदया, मैं अपने सहयोगी श्री वीरेन जे. शाह द्वारा उपस्थित किए गए संकल्प का समर्थन करती हूं। महोदया, जिस देश की संस्कृति नारी को मां मानती है, जहां पर स्त्री माता समान है, ऐसे भारत देश में आज नारी पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। नारी पर हो रहे अत्याचार भारत की महान परंपरा एवं

मानवता के लिए कलंक है। आजाद भारत में उनकी स्थिति दिनों-दिन क्यों बिगड़ रही है। पैंतालीस साल के कांग्रेस के शासन ने देश को क्या दिया? देश कहां-से-कहां भटक गया? नारी पर हो रहे अत्याचारों के बावजूद सरकार चुप क्यों है?

नारी पर हो रहे अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। इन अत्याचारों के मूल में कौनसी व्यवस्था दोषी है? इन अत्याचारों के लिए कौनसा वायुमंडल जिम्मेदार है? स्थिति हाथ से बाहर क्यों जा रही है? महोदया, आजादी के पहले मेरे देश के नौजवान बड़े गौरव के साथ "मेरा रंग दे बसंती चोला" गाते थे और देश के लिए बलिदान हो जाते थे। कांग्रेस के 45 साल के शासन का परिणाम यह है कि जो नौजवान "मेरा रंग दे बसंती चोला" गाता था, आज वही "चोली के पीछे क्या है।" इसकी खोज करने में लगा है। क्या शासन द्वारा निर्मित दिशाहीन व्यवस्थाएं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं? क्या नीतिहीन राज्य-व्यवस्था से पैदा हुआ वायुमंडल इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? शासन द्वारा पैदा हुआ आज का माहौल नारी की रक्षा कैसे कर पाएगा?

महोदया, शहर की पढ़ी लिखी नारी की व्यथा तो कभी सुनाई भी देती है, परन्तु भारत गांवों का देश है और गांव में भी नारी बसती हैं, उसके दुखदर्द उसके भीतर ही दब जाते हैं। भारत में साढ़े तीन करोड़ से भी अधिक विधवा महिलाएं हैं। महिलाओं की जनसंख्या का यह आठ प्रतिशत है। इतनी बड़ी संख्या में ये महिलाएं समाज में उपेक्षित जीवन व्यतीत कर रही हैं। इन विधवाओं में वे वीर महिलाएं भी हैं, जिनके पति युद्धभूमि में देश के लिए शहीद हो गए। दूसरे विश्व-युद्ध से लेकर आज आंतकवादियों की गोली से मर रहे इन देशभक्तों की विधवाओं की अपनी व्यथा है। यह संख्या कम नहीं है। भारत में मुस्लिम नारी की स्थिति तो और दर्दनाक है। उसके आज भी 18वीं सदी में जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तीन तलाकी कल्चर ने नारी गौरव को नष्ट कर दिया है। इतना कम है तो आज शरीयत कोर्ट की बातें करके मुस्लिम नारी के अधिकार छीनने के लिए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं।

पिछले दस बारह सालों में महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों में बढ़ोत्तरी के साथ साथ नये तरह के अपराधों, तरीकों का भी जन्म हुआ है। आजकल यदि हम इन अपराधों की बात करते हैं यो यह दहेज, हत्या, बलात्कार तक ही सीमित नहीं है। इनमें खुले आम महिलाओं की बेइज्जती करना, कपड़े फाड़ना, दोस्ती के लिए मना करने पर हिंसक तरीके से बदला लेना, लड़कियों को बहकाकर उनके अश्लील चित्र लेकर उन्हें ब्लैकमेल करना जैसे नये अपराधों का जन्म हुआ है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने कार्यालय में नियुक्त महिला कर्मचारियों को तंग करना, पुलिस थाने में जांच करते समय बलात्कार करना या उत्पीड़न करना, जैसी घटनाएं सुनने में आती है। जब जातीय दंगे होते हैं तब सबसे ज्यादा उत्पीड़न महिलाओं पर होता है और बलात्कार की घटनाएं होती हैं। महिलाओं को नग्न करके गांव में घुमाते हैं। भ्रूण हत्या तो तेजी से बढ़ रही है।

महोदया, पिछले दिनों गुजरात में परीक्षा केन्द्र में एक लड़की को, परीक्षा में चोरी कर रही है, ऐसा कहकर तलाशी करने के लिए परीक्षा के अलग कमरे में ले गए और सरस्वती के धाम में ही परीक्षकों ने उस पर बलात्कार किया। इसी तरह पिछले दिनों गुजरात के द्वारका स्थित स्वामी केशवानंद के आश्रम में सैक्स कांड पकड़ा गया। छोटी छोटी लड़कियों को अच्छी बातें करके कि मोक्ष दिलाऊंगा, स्वर्ग में पहुंचाऊंगा, अभद्र व्यवहार किया जाता था। एक सौ से अधिक लड़कियों को गर्भपात करवाना पड़ा है।

महोदया, देश में बाल वेश्या-वृत्ति के प्रमाण चौकाने वाले हैं। सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी द्वारा एक सर्वेक्षण हुआ, जिसमें बताया गया कि बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर और हैदराबाद में वेश्यावृत्ति के व्यवसाय में एक लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिसमें 50 परसेंट 15 साल से कम आयु की तथा 24 परसेंट 16 से 18 वर्ष की आयु वाली युवतियां हैं। यह सब बाल वेश्याएं आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम, बिहार, गुजरात से आती हैं। असामाजिक तत्वों द्वारा इन युवतियों को इस व्यवसाय में लाया जाता है। जलगांव का सामूहिक बलात्कार तो एक नमूना है। आज बड़े शहरों में पैसों के जोर पर स्त्री शोषण के अनेक षड़यंत्र चल रहे हैं।

गुजरात में एड्स के खिलाफ जन अभियान कर रही एक संस्था ने सर्वे किया और पाया कि गुजरात के 6 बड़े शहरों में 15,000 से अधिक कालेज कन्याएं पैसों की खातिर कॉलगर्ल का काम करने पर मजबूर हैं। गरीबी और बेरोजगारी के कारण गांव के पुरुष रोजगार के लिए शहर चले जाते हैं। गांव में महिला अकेली रहती है और गांव के भेड़िये उसका जीना हराम कर देते हैं। दूसरी ओर गांव के कुछ पढ़े लिखे लोग शहर में जाकर बड़े बाबू बन जाते हैं, तब उन्हें गांव की अपनी पत्नी पसंद नहीं आती। उसे गांव में ही जीने के लिए मजबूर कर ये बड़े बाबू शहर में अवैध रूप से दूसरी शादी कर लेते हैं। नारी को बाहर की हिंसा के साथ-साथ घरेलू हिंसा के वीभत्स रूप को भी झेलना

पड़ता है।

बंगाल में प्रगतिशील लोग राज कर रहे हैं। अखबार कहते हैं कि वहां पंचायत में चुनी कई महिलाओं को काम करने से कई लोग रोक रहे हैं। सिलीगुड़ी जिले की स्थिति बहुत खराब है। महोदया, दिनों दिन नारी पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। हम सब इस बात को स्वीकार करेंगे कि पुलिस थाने में लिखवाई गई फरियादों से अनेक गुना अधिक घटनाएं होती हैं, जिसे इज्जत के डर से नारी चुपचाप सहन कर लेती है। महाराष्ट्र, जहां हमेशा कांग्रेस का ही शासन रहा है, वहां साल में पन्द्रह हजार से ज्यादा नारी उत्पीड़न की घटनाएं सरकारी दफ्तर में रजिस्टर होती हैं, भारत में यह हिसाब कितना भयानक होगा। मैं सदन के सामने उन भयानक अत्याचारों का ब्यौरा देना चाहती हूं। हमारी राज्य सभा 11:00 से 6:00 बजे तक चलती है, यानी कि सात घंटे चलती है, मतलब यह कि चार सौ बीस मिनट चलती है। सदन के इन चार सौ बीस मिनट के समय में देश में नारी पर कितने भयंकर अत्याचार होते हैं, यह मैं बताना चाहती हूं। हमारी राज्य सभा आज जब चार सौ बीस मिनट का अपना कार्य समाप्त करेगी तब दहेज के कारण 7 महिलाओं की हत्या हो जाएगी, 12 महिलाओं के साथ बलात्कार होगा, 24 महिलाओं की बेइज्जती होगी, 15 महिलाओं का अपहरण होगा, 72 महिलाओं की पति द्वारा पिटाई होगी, 14 महिलाओं का उत्पीड़न होगा, 24 महिलाएं क्रूरता का शिकार होंगी, 15 से 19 वर्ष की आयु की 13,400 कुवांरी कन्याएं गर्भवती बनेंगी, जिनमें से 4,433 की भ्रूण हत्या हो जाएगी।

नारी उत्पीड़न के संबंध में सारी कानूनी प्रक्रिया खोखली है। आज की कानून व्यवस्था नारी को न्याय दिलाने की बजाए अत्याचार के कारण दुखी नारी के दुख को बढ़ावा देती है, समाज में हमेशा के लिए उसका स्थान गिर जाता है। 1991, 92, 93 के तीन सालों में बलात्कार के 750 केस अकेले दिल्ली में हुए, उसमें से 650 न्यायालय में दायर किए गए और सिर्फ 6 गुनाह सिद्ध हुआ, बाकी सब छूट गए। दहेज के कारण 370 हत्याएं हुईं, उनमें से 307 न्यायालय तक पहुंची और एक में भी किसी को सज़ा नहीं हुई। 90 पत्नियों की हत्या हुई, 80 मामले न्यायालय में गए और सिर्फ और सिर्फ एक पति को सजा हुई। 175 गृहणियों की हत्या हुई, एक को सजा न हुई। यह है हमारी कानून-व्यवस्था का खोखलापन।

पश्चिम बंगाल में 1991 में 8,400 केस न्यायालय में थे, इनमें से 41 केस में सज़ा हुई। बलात्कार का भोग बनी हुई 150 महिलाएं राज्य के तीन रिमान्ड होम में सुबक रही हैं। जब किसी युवती पर बलात्कार होता है तो उसे रिमान्ड होम में वेश्या और जेबकतरों के साथ रखते हैं। जहां 80 महिलाएं रह सकें, ऐसे खंड में 250 महिलाओं को रखते हैं। युवतियों पर शारीरिक बलात्कार के साथ-साथ न्याय व्यवस्था भी दुख कम करने की बजाए दुख बढ़ा रही है।

महोदया, मेरा निवेदन है कि महिलाओं के उत्पीड़न पर अंकुश लगाना और उनकी सुरक्षा को निश्चित बनाने के लिए सरकारी स्तर पर एक योजना बनाई जानी चाहिए। सामाजिक प्रबुद्ध वर्ग, विचारकों, संत महात्माओं और सुधारकों को भी बाकायदा तौर पर इस अभिशाप के विरूद्ध एक देशव्यापी जागरण अभियान छेड़ना चाहिए।

नाबालिग लड़की को बच्चा पैदा करने की अनुमति मद्रास उच्च न्यायालय ने दी, इससे शादी से पहले ही गर्भधारण करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा, जो सामाजिक अनुशासन के लिए खतरा है।

महिला संगठनों के बीच हर महीने एक बैठक होनी चाहिए। हर तीन महीने के बाद अपराध शिकायतों के साथ-साथ उनके सुझाव भी सुनने चाहिए। अपराध शाखा के अधिकारी को वर्ष में 20-22 से ज्यादा मामले नहीं देने चाहिए। काम का बोझ कम होने से काम में तेजी आएगी।

बस में मारपीट तथा बदतमीजी का शिकार महिला के कहने पर तुरन्त बस को थाने ले जाना चाहिए। बहादुर महिलाओं और माताओं को सरकार की ओर से सम्मान मिलना चाहिए जिससे महिलाओं को हौसला बढ़ेगा। भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

अपराधियों का कानून की पकड़ से छूट जाना, जमानत होना व सालों तक न्याय के लिए आम आदमी को कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। जो अपराधी जमानत पर बड़ी आसानी से छूट गए, उन्होंने दोबारा वही अपराध किया, दिल्ली पुलिस के सर्वेक्षण में आया है। कानून की कमियों के कारण ऐसा होता है, इसलिए कानून में संशोधन जरूरी है।

लालन-पालन, चिकित्सा, शिक्षा, सम्पत्ति में अधिकार, परिवार में सुरक्षा-स्वतंत्रता, सब मामलों में उनके साथ घोर पक्षपात तथा अन्याय होता है। इन सबका उपाय है शिक्षा। इसलिए सरकार द्वारा कंप्लसरी शिक्षा का प्रबंध होना अत्यंत आवश्यक है। महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए स्थायी राष्ट्रीय महिला आयोग पोलिटिक्ल पार्टी की प्रवृत्ति का माध्यम बन गया है। समाज कल्याण निदेशालय द्वारा राज्य महिला आयोग बनाने के लिए केन्द्र की ओर से दबाव होना जरूरी है। अभी कई प्रदेशों में राज्य महिला आयोग का गठन तहसील तक जरूरी है।

फैमिली कोर्ट की स्थापना करने से महिलाओं को न्याय दिलाने में गति आएगी। एक देश, एक कानून को लागू करके मुस्लिम नारी के गौरव को स्थापित करना चाहिए।

साढ़े तीन करोड़ से अधिक विधवाओं को सम्मान के साथ जीने के लिए आर्थिक विकास एवं उत्पादन के कार्य में जोड़ना चाहिए। समाज में उनकी उपेक्षा न हो, वे सम्मान के साथ जी सकें, ऐसी व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। स्त्री शिक्षा पर भी बल देना चाहिए। शिक्षित स्त्री समाज के आर्थिक-सामाजिक विकास में बहुत योगदान कर सकती है। शिक्षा का जो भी बजट हो उसमें स्त्री शिक्षा के लिए अलग से बजट तय किया जाए। जो सामाजिक संस्थाएं स्त्री शिक्षा में योगदान देना चाहें, उन संस्थाओं को आयकर में अधिक छूट देकर प्रोत्साहित करना चाहिए।

महोदया, ग्रामीण महिलाओं की समस्याएं बहुत हैं, भिन्न भी हैं। ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए अलग व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए। इस संकल्प में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए अनेक उपायों का सुझाव दिया गया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस संकल्प को स्वीकार करे और अपराधियों को भारी दंड दिलाने के लिए इच्छ प्रकट करे। धन्यवाद।

श्री एस. एस. अहलुवालिया (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदया, हमारे बड़े भाई वीरेन जे. शाह ने अपना जो संकल्प सदन के सामने रखा है, वह बहुत महत्वपूर्ण संकल्प है और यह एक चिंता का विषय है। महोदया, यह चिंता आज से शुरू नहीं हुई है। अगर हम सोचें कि किसी सरकार के आने से यह चिंता शुरू हुई है तो यह सोचना गलता होगा। यह चिंता युग-युगांतर से चली आ रही है। अगर हम सोचें कि अहिल्या को, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को एक संदेह, एक शंका के कारण पाषाण का रूप धारण कर लेना पड़ा तो उसके पीछे क्या कारण थे? मैं उन कारणों के विश्लेषण में नहीं जाना चाहता क्योंकि अगर जाऊंगा तो बहुत सारी आपत्तियां उठेंगी और यह एक धार्मिक मसला है। अहिल्या को पाषाण बन जाना पड़ा सिर्फ एक प्रश्नचिह्न के कारण।

परशुराम के पिता ने परशुराम को हुक्म दिया कि अपनी मां का वध करो, उसकी गर्दन काट लो। क्यों? उसके पीछे एक ही कारण था कि तुमने एक गंधर्व को रतिलीला करते हुए देख लिया है जिसके कारण तुम्हारा मन डोल गया और तुम्हें उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। महोदया, युग-युगान्तर से यह चला आया है और ऐसी परंपरा बनी है कि कहीं-कहीं स्त्री को किसी ने भोग की वस्तु बनाया है। हमारी संस्कृति कहीं हमें यह नहीं बताती कि यह भोग की वस्तु है।

श्रीमती रेणुका चौधरी (आंध्र प्रदेश): राम ने भी तो वही किया। सीता पर सबके सामने संदेह किया। उसने यह नहीं कहा कि- I will resign from my seat in honour of my wife.

श्री एस. एस. अहलुवालिया: रेणुका जी की बात भी सही है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी अपनी मर्यादाओं की रक्षा करते हुए सीता का त्याग किया। जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम सीता का हरण होने के बाद रावण का बध करने के लिए दृढ़-प्रतिज्ञ हुए और उसका वध किया और सीता को मुक्ता कराया और अयोध्या वापस आए तो सिर्फ एक धोबी ने अपनी धोबिन को फटकारते हुए कुछ कह डाला जिसके कारण उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी मर्यादाओं की रक्षा करते हुए सीता का भी त्याग कर दिया।

तो ये प्रश्नचिह्न युग-युगांतर से चले आ रहे हैं। हम यह कहें कि आज महिला को यह सज़ा मिल रही है या ऐसा कुछ इनके साथ हो रहा है, तो यह सोचना व्यर्थ होगा। सारी रामायण अगर पढ़ लें तो शुरुआत कहां से होती है? भारतवर्ष में सब देवियों के नाम पर, देवताओं के नाम पर लोग अपने बच्चे-बच्चियों का नाम रखते हैं। लेकिन क्या कोई अपनी बच्ची का नाम कैकेयी भी रखता है? कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता। क्योंकि कैकेयी से ही शुरुआत हुई और एक रामायण बन गई। न कैकेयी जिद पकड़ती, न भगवान राम को बनवास काटना पड़ता, न वह जंगल में जाते और न सीता हरण होता और न सीता हरण होता तो न रावण का वध होता।... (**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Renukaji, have some patience. He will come to that.

श्रीमती रेणुका चौधरी: मैं पूछ रही हूं कि कैकेयी से शादी किसने किया?

श्री एस. एस. अहलुवालिया: राजा दशरथ ने।

श्रीमती रेणुका चौधरी: हां, वह वहीं से शुरू करो।

श्री एस. एस. अहलुवालिया: हां, अगर वह जिद नहीं पकड़ती ... (**व्यवधान**) पिछले हफ्ते भी मैं एस सदन में कह चुका हूं कि और आज फिर दोहरा देता हूं कि हमारा क्या है,

"I am the boss of the house, and I have my wife's permission to say so."

उसके बगैर तो गुजारा नहीं। तो राजा दशरथ तो मजबूर हुए कैकेयी के कहने पर। महोदया, मैं सिर्फ बतला रहा था कि इसकी शुरुआत वीरेन जे. शाह जी ने कहा है, जैसा कुछ किया है, वह युग-युगांतर से चली आ रही है। हां, हमारी संस्कृति में, हमारे संस्कारों में, हमारी सभ्यता में गिरावट आई है।.... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): अगर यह रनिंग कॉमेंट्री आप चलाएंगे तो अहलुवालिया जी का भाषण पूरा नहीं हो सकेगा। आप सुन लीजिए उनको।

श्री एस. एस. अहलुवालिया: महोदया, गिरावट संस्कृति में हुई है और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम सब हैं। अभी बहन जी बोल रही थी, बड़ी अच्छी बात की। आज जो नौजवान इस तरह से वीररस गाथाएं गाता था, जो कहता था कि मेरा रंगदे बसंती चोला, अब वह यह कह रहा है कि - चोली के पीछे क्या है। अगर बात वहीं तक सीमित रहती तो कुछ और है। आजकल तो नया गाना आ गया - खटिया पर हो धक धक। अब यह तो वहां पोस्चर और गाने की ट्यून इतनी गंदी और भद्दी है कि आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर वह फिल्म नहीं देख सकते। महोदया, उसके साथ-साथ आजकल तुम चीज बड़ी हो मस्त-मस्त। यह कौन हैं लोग?

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार): यह गाने पुरुषों ने लिखे हैं, महिलाओं ने नहीं लिखे हैं। इसलिए आप इसके लिए पुरुषों को कहिए, उनकी आलोचना कीजिए, उनकी भर्त्सना कीजिए। महिलाओं पर आक्षेप मत कीजिए।... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): शंकर दयाल सिंह जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि सदन में हम लोग एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की चर्चा कर रहे हैं और ऐसी चर्चा के दौरान अगर इस तरीके से आपसे और इधर से कुछ वार्तालाप होता रहेगा तो विषय की सारी इंपोर्टेंस खत्म हो जाएगी। आपके बिल का इंपोर्टेंस खत्म हो जाएगा।

श्री शंकर दयाल सिंह: उपसभाध्यक्ष महोदया, मैंने इसीलिए माननीय सदस्य से यह अनुरोध किया कि इसकी गंभीरता को बढ़ाएं। मुझे प्रसन्नता है कि बहुत जानकारी के साथ और बहुत अच्छे ढंग से अहलुवालिया जी ने शुरुआत की। यह भी खुशी की बात है कि संस्कृत और संस्कृति दोनों का ज्ञान उनको राजनीति से ज्यादा है, मैं यह कहना चाहता हूं और इसीलिए बीच में यह जो डिरेल हो रहा है, मैं चाहता हूं कि अपने भाई को सीधे रास्ते पर लाऊं और इनके मुंह से आज अच्छी बात सुनूं और अच्छा भाषण सुनूं।

श्री एस. एस. अहलुवालिया: बड़े भाई, आपके सुझाव के लिए धन्यवाद। महोदया, मैं यह कहना चाहता था कि यह जो गाना है तुम चीज बड़ी हो मस्त-मस्त, हो सकता है इस गाने की ट्यून किसी पुरुष ने लिखी हो। किन्तु जो नृत्यांगना है, उस ट्यून पर जो नाच रही है और जो दर्शक हैं, जो दर्शक इस ट्यून को लेकर जा रहे हैं और जो सैंसर बोर्ड है, जो इस चीज को पास कर रहा है, वहां पर महिलाएं और पुरूष दोनों उपस्थित हैं उसके बावजूद ऐसी चीजें पास क्यों होती हैं? उसके बावजूद ऐसी चीजें पास क्यों हो रही हैं? मेरा कहना यह है कि मैं यह भी कह सकता हूं। वीरेन शाह जी मैं आपका ध्यान चाहूंगा।

श्री वीरेन जे. शाह (महाराष्ट्र): हां जी, ज़रूर।

श्री एस. एस. अहलुवालिया: मैं तो इसके बारे में यह भी कहा सकता हूं कि एक लड़की अपनी चप्पल उतार कर भी कह सकती है कि यह चप्पल बड़ी है सख्त सख्त।

श्रीमती रेणुका चौधरी: इससे तो हम बदनाम होंगे।

श्री एस. एस. अहलुवालिया: यह भी कह सकती है पर बेचारी अबला जिसको आज तक इतने राइट दिए हैं हमने, अधिकार दिए, इतने अधिकार देने के बावजूद हम उसे अबला कहते हैं और जब हम अबला कहते हैं और जब शक्ति की पूजा करना चाहते हैं तब कहते हैं "या देवी सर्वभूतेषु" मां दुर्गा, मां जगदम्बा, मां जगधात्री, शेरांवाली, काली, पीताम्बरी, सब कहते हैं और उनकी पूजा करते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं और उसकी जब सरेआम समाज में बेइज्जती हो, उसका अपहरण हो, उसका धर्षण हो या उसकी बेइज्जती हो, शर्म से भारतीय संस्कृति का, भारतीय समाज का सिर नीचा होता है और मैं कहता हूं हमारे देश के 90 करोड़ लोगों में 45 करोड़ पुरुष जो हैं, उसके लिए जिम्मेदार अगर हम मानते हैं तो गलत है। सिर्फ पुरुष नहीं, इसके लिए महिलाएं भी जिम्मेदार अगर हम मानते हैं तो गलत है। सिर्फ पुरुष नहीं, इसके लिए महिलाएं भी जिम्मेदार हैं।

श्रीमती रेणुका चौधरी: क्यों है?

श्री एस. एस. अहलुवालिया: महिलाएं क्यों जिम्मेदार हैं? बहुत सारी बातें सामने आती हैं। महोदया, हमारे यहां महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के कारण कुछ जो आते हैं, उसके पीछे सबसे पहला कारण जो हमारी घरेलू कलह है, सास और बहू की वह आती है। दूसरी कलह हमारे सामने आती है, वह हमारे विकृत यौन चिंताओं के कारण आती है। परवर्टेड सेक्स थिंकिंग। तो ये विकृत यौन चिंताओं या विकृत यौन भावनाओं के कारण जो हमारे दिमाग में आती हैं, उसके कारण होता है, अपरहरण होता है, रेप होता

है, रेप करने के बाद मार देते हैं। उपसभाध्यक्ष महोदया, भैरों सिंह शेखावत हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान के हैं, उन की अपनी कंस्टीट्यूएंसी में, गंगानगर में, एक हफ्ता पहले एक गरीब मजदूर की स्त्री, मज़दूर को थाने में पकड़ कर ले गए, वह मज़दूर की स्त्री छुड़ाने के लिए थाने पर गई। उसके साथ जो कुछ किया गया वह बयान के बाहर है। मैं बयान नहीं कर सकता।

श्री गोविन्दराम मिरी (मध्य प्रदेश): रायगढ़ में जो हुआ, उसके बारे में बताइए।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: हम उसको भी बोलेंगे, आप बैठ जाइए।

मैं उसका बयान नहीं कर सकता। मैं इस मुद्दे को एक मज़हबी रूप दे सकता था कि उस महिला के साथ जो अत्याचार हुआ क्योंकि वह एक सिख महिला थी जिसके सिर के बाल मूंड दिए गए, जिसको पूरी तरह सरेआम नंगा करके उसके गुप्तांगों में लकड़ियां घुसेड़-घुसेड़ कर मार दिया, यह हमारा सभ्य भारत है। हम जहां विचार करना चाहते हैं, मैं उसके बारे में भी बोलना चाहता हूं जो रायगढ़ में हुआ। मैं उसको भी प्रोटेक्शन नहीं देना चाहता। मैं उसको भी बोलना चाहता हूं जो आजकल तांत्रिकों के आश्रमों में और बड़े-बड़े स्वामियों के आश्रमों के अंदर हो रहा है। अजमेर का सेक्स कांड, जलगांव का जो सेक्स कांड है, यह हमारी भारतीय संस्कृति और परम्परा के चेहरे पर एक बहुत बड़ा कलंक का टीका है। पर ये विकृत संस्कृति आई कहां से? ये कौन हैं लोग? जो पहले बड़े-बड़े शहरों में, मैं 1967 में दिल्ली पढ़ने आया था। तो मैंने पहली बार नाम सुना था कि डिस्कोथेक होता है। गेलॉर्ड होटल के बगल में एक डिस्कोथेक सेंटर था। कभी जाने का मौका तो नहीं मिला, छात्रों से, अपने दोस्तों से पता लगा था कि दो जन मिल कर ही गा सकते हैं, अकेला नहीं गा सकता। दूसरा कोई पार्टनर मिला नहीं इसलिए जा नहीं सका। पर आज ऐसे डिसकैथे, आज ऐसे डिस्कोडांस सेन्टर्स, कैबरे सेन्टर्स भारत के उन छोटे-छोटे कस्बों तक पहुंच गये हैं जहां की पापुलेशन एक लाख, डेढ़ लाख, दो लाख है। ये कौन लोग हैं जो इस संस्कृति को पनपा रहे हैं? यह हम सब भारतीय लोग हैं और इसमें आमूल परिवर्तन की जरूरत है। पर महोदया इतने कानून आने के बावजूद, हमारे यहां सीटा एक्ट है....

श्रीमती रेणुका चौधरी: इसको तो बाद में बदल दिया गया।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: हमारे यहां एंटी डौरी एक्ट है, हमारे यहां इनडिसेंट रिप्रजेन्टेशन प्रोहिबिशन एक्ट है, हमारे यहां फेमिली कोर्ट बनाने की परम्परा चलाई गई। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि सारे भारत में फेमिली कोर्ट कंस्टीट्यूट हो गये पर हम जिस राजधानी में रहते हैं, भारत की राजधानी में रहते हैं यहां पर फेमिली कोर्ट यहां की बार कौंसिल वाले बनने नहीं दे रहे हैं। यहां के एडवोकेट नहीं बनने दे रहे हैं। फेमिली कोर्ट के तहत हम लोगों ने इस सदन के माध्यम से यह अधिकार दिये थे कि कोई महिला अगर अपना केस प्लीड करना चाहती है तो उसे किसी वकील की जरूरत न पड़े, किसी अधिवक्ता की जरूरत न पड़े, कोई पैसा खर्च न करना पड़े। वहां पर कौंसलिंग करके, एन॰जी॰आ॰ के थ्रू जो कंसलटेंट हैं उनसे बात करके फेमिली कोर्ट में फैसला हो जाए, वैसी परम्परा आप बनाने की कोशिश कीजियेगा। सारे भारत में वह इम्पलीमेंट हो गया पर दिल्ली में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसको सोचने की जरूरत है। सारे भारत में अगर एंटी डौरी सैल सबसे ज्यादा अगर कहीं एक्टिव हैं तो वह दिल्ली में है और मैं कहता हूं कि यह एंटी डौरी सेल और कुछ नहीं सिर्फ रुपया पैसा लोगों के द्वारा खींचने का एक रवैया बना हुआ है। यह पैसा खींचने की एक मशीन है। एंटी डौरी एक्ट का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है इसका मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मेरे पास एक केस आया। आपको सुनकर आश्चर्य होगा। एक सज्जन बड़े ओहदे पर काम करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में हैं, इज्जतदार आदमी हैं। उनकी शादी भी एक इज्जतदार परिवार में अपनी ही स्वजाति परिवार में हुई। शादी होने के कुछ दिन बाद क्योंकि लड़की कुछ बीमार थी इसलिए वह रात को उठकर या दिन को उठकर घर से बाहर चली जाती थी। उस बीमारी से हालत यह थी कि जब शौहर घर वापस पहुंचता था तो अपनी मां को, अपने पिता को परेशान देखता था क्योंकि बहू कहीं चली गई थी अपने सास ससुर को बिना बताये। उसके मन में तरह-तरह के शक पैदा होते थे कि मेरी वाइफ मेरे माता-पिता से बिना पूछे कहां चली गई। कब आयेगी, किस हालत में गई है इससे आदमी के दिमाग में प्रश्न चिह्न तो पैदा होते ही हैं। अंत में डाक्टर को दिखाया गया। डाक्टर ने बताया इसको दिमागी बीमारी है। बकायदा दिल्ली के एक रिनाउन्ड होस्पीटल के मेडिकल बोर्ड ने सर्टीफिकेट दे दिया कि यह मेंटल केस है और यह किसी वक्त भी एग्रेसिव हो सकती है और एग्रेसिव होकर किसी प्रकार की भी घटना घट सकती है। लड़के के परिवार के सदस्यों ने बड़े सभ्य और सौम्य तरीके से अपने इनलाज को इन्फार्म किया कि ऐसी हालत है हमें इस बीमारी के बारे में बताया नहीं गया था। देहात में क्या होता है कि किसी को मिर्गी पड़ी या लड़की को कोई छोटी-मोटी बीमारी हो गई तो वैद्य आकर कहता है इसकी शादी कर दो, ठीक हो जायेगी। हिस्टीरिया है शादी कर दो ठीक हो

जायेगी, मेंटली रिटार्डिड है शादी कर दो ठीक हो जायेगी। जब लड़की के घर वालों ने इसकी बीमारी के बारे में उनसे पूछा तो वैद्य ने यही कहा कि इसकी शादी कर दो ठीक हो जायेगी। लड़के वालों ने बताया कि ऐसी हालत है कि हमें बताये बगैर घर से भाग जाती है, हमसे पूछे बगैर चली जाती है। कल को कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई घटना घट गई, कभी-कभी वायलेंट हो जाती है..... । उसको रोकने से वॉयलेंट हो जाती है। अगर कुछ घटना घट गयी तो आप कुछ कहेंगे। बस इतना कहना था कि दूसरे दिन डाउरी सेल में एक रिप्रेज़ेंटेशन चली गयी कि लड़का परेशान कर रहा है और डाउरी मांग रहा है। उपाध्यक्ष महोदया, वह नौजवान, एक अफसर वह बेचारा सुबह से परेशान घर से भाग रहा है, उसकी मां घर से भाग रही है, उसके पिताजी घर से भाग रहे हैं क्योंकि पुलिस उनके पीछे पड़ी है कि उनको पकड़ना है। इतना सीरियस मसला हो गया। पता चला कि कहीं ऊपर से दबाव पड़ रहा है कि इनको गिरफ्तार करना है। तब फिर कहीं जाकर उसमें बीच-बचाव करके, हमने भी कुछ बीच-बचाव किया और उसके दफ्तर के लोगों ने और दूसरे लोगों ने बीच-बचाव करके एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की और कंडीशन क्या थी? कंडीशन यह थी कि डाउरी में जो सामान गया, मैं डाउरी तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि अपनी बेटी को जो कुछ दिया गया था, वह सामान तो लिया ही, उससे तीन गुना ज्यादा पैसा कैश में लिया। तब जाकर उनका समझौता हुआ। महोदया यह एंटी डाउरी एक्ट जो है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। इस पर हमारे गृह विभाग से या हमारे सोशल वैलफेयर डिपार्टमेंट से .....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: दुरुपयोग किसका हो रहा है?

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: सैल द्वारा दुरुपयोग हो रहा है। एक्ट तो हम सबने पास किया है, वह अच्छे तरीके से, अच्छी भावनाओं को लेकर पास हुआ है पर उसका दुरुपयोग सैल द्वारा किया जा रहा है। महोदया, यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैंने तो गुस्से में आकर उस लड़की के एक रिश्तेदार को कहा कि साहब, इससे अच्छा था कि आप इसको पेशे में डाल देते। एक तो यह हुआ कि शादी हो गयी, तीन महीने के बाद सैपरेट कर रहे हो और ऊपर से इतना पैसा मांग रहे हो। तीन गुणा पैसा कैश में लिया गया, जबर्दस्ती, और उस बेचारे लड़के की इतनी नौकरी भी नहीं है। उसने पी॰एफ॰ से पैसा कर्ज लेकर और दूसरे दोस्तों से कर्ज लेकर उनको दिया। आप बताइए कि यह सैल बनाया गया था कि हम प्रोटेक्शन दें, हम प्रोटैक्शन नहीं दे सकते। .....(व्यवधान) यह केसिज़ हैं। यह एक तरफ की पिक्चर नहीं है, दूसरी तरफ की है। जिस तरह से मैंने उस दिन भी कहा कि इस बारे में कोर्ट के बाहर एक सज्जन एक एसोसिएशन लेकर बैठे हैं, एक पति, जिसकी मैंबरशिप 50,000 है दिल्ली में, वैसे पति जो पत्नियों से परेशान हैं, जहां एंटी डाउरी वाले रोज उनको परेशान कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती रेणुका चौधरी: अगर हस्बैंड डाउरी वसूल करते थे .....(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिम बंगाल): अगर यह कोई तथ्य पेश कर रहे हैं सदन में, तो दैट शुड बी वैरीफाइड. यह जो पति संस्था का एडवरटाइज़मेंट कर रहे हैं और 50,000 सदस्य हैं, ऐसा सदन में बोल रहे हैं तो क्या वह वैरीफाई किया है? (व्यवधान)

श्रीमती रेणुका चौधरी: अरे है तो है .....(व्यवधान) ठीक है, यह बहुत देर से हुआ, देर हुआ दुरुस्त हुआ, बहुत अच्छा हुआ, और मैंबरशिप बढ़नी चाहिए।.....(व्यवधान)

श्री जलालुदीन अंसारी (बिहार): आप बताइए न, ...(व्यवधान)

श्री एस. एस. अहलुवालिया: मैंने तो शुरू से कहा कि 45 करोड़ जो पुरुष हैं यहां .....(व्यवधान)

उप सभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): देखिए, आप लोग अगर टोका-टाकी करते रहेंगे तो वह अपना भाषण पूरा नहीं कर सकेंगे। (व्यवधान) अहलुवालिया जी, 50,000 पुरुष वहां धरना देकर बैठे हैं, आपने वैरीफाई किया है?

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: महोदया, मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक संस्था, एक वकील चला रहा है जो बकायदा वहां पर एजीटेशन कर रहा है, मुज़ाहिरा करता है, उसने अनाउंस किया है, यह प्रेस क्लिपिंग में है। हम प्रैस कटिंग को कोट करते हुए ही यहां सदन में बहस करते हैं। और उसकी प्रेस क्लिपिंग के आधार पर मैं बता रहा हूं। उसने कहा कि 50 हजार मेंबरशिप मेरी है। .....(व्यवधान) आपको चिंता लगी है.....(व्यवधान).... आपके साहब भी क्या ज्वाइन कर गये वहां?

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): सरला जी, अहलुवालिया जी अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने पढ़ा है। वह उस क्लिपिंग पर बोल रहे हैं। .....(व्यवधान).....

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिम बंगाल): वह पक्ष में बोल रहे हैं या विपक्ष में बोल रहे हैं? जो कुछ कहना चाहते हैं आप कहिये।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: आप कहने ही नहीं दे रही हैं तो कहूं कैसे।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: मैं तो चाहती हूं कि आप बोलें।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: सुनिये आप। सिर्फ एक तरफा बात मत करिये। परेशानी पति को ज्यादा तभी हो जती है, यही तो झगड़ा है। मैं यह बात क्यों कहता हूं?

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप एन्टी-वोमैन हैं।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: I am saying, why I say, "I am the boss of the House and I have my wife's permission to say so." यह सारे प्रीकाशंस क्यों लेने पड़ते हैं क्योंकि उसको पता है कि जिस दिन बीबी से झगड़ कर चला गया, पति, तो उस दिन वह खाने में ज्यादा मिर्च डाल देगी और वह बेचारा खा नहीं सकेगा। .....**(व्यवधान)**.....

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश): आपको अनुभव है?

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: आपने तो यह अनुभव किया ही नहीं, कुंवारे रह गये।

श्री त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी (उत्तर प्रदेश): अहलुवालिया साहब, वह उम्मीदवार अभी भी हैं।

श्री एस. एस. अहलुवालिया: मेरा भाषण सुनने के बाद पता नहीं क्या हो गया इनको। .....**(व्यवधान)**.....

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आप लोग ऐसे ही रनिंग कमेन्ट्री करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग बिजनेस कम्पलीट कर पायेंगे। Now let us come to the point.

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार): एक सीरियस मैटर को हल्का मत कीजिये।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): इसीलिये मैंने कहा कि हम एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। यदि इस चर्चा को हंसी-मजाक में करना है तो वह अलग बात है।..... *(Interruptions)*..... Renukaji, will you keep quiet for sometime so that he can speak?

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: महोदया, मैंने शुरू से ही कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस मुद्दे पर हम लोग बहस कर रहे हैं। मैंने जो चीजें आपके सामने उजागर की हैं, उनमें कोई झूठ नहीं है। हमारी संस्कृति में जो विभ्रांतियां आयीं हैं, ये उन कारणों से आयीं हैं। उन्होंने जो मांग की है राइट आफ एक्विलिटी तो ये चीजें तो हैं, अंकित हैं। अगर एक महिला कंपीटीशन में बैठती है और वह कम्पीटीशन पास कर लेती है तो क्या उसको नंबर नहीं मिलते या क्या वह पैनल पर नहीं आती? तब क्या उसको कलक्टर नहीं लगाते हैं या अगर वह आई॰पी॰एस॰ है तो उसको एस.पी. नहीं लेते या आई॰आर॰एस॰ पास कर लेती है तो क्या वह इनकम टैक्स कमिश्नर नहीं लग सकती? कहां है ऐसा? यह तो राइट दिया हुआ था, हमारे संविधान बनाने वाले लोगों ने दिया है। लेकिन जो संविधान के परं काम करने वाले लोग हैं, हमारे घरेलू समाज में ये विकृतियां आयीं हैं, जहां पर कानून काम नहीं करता। मेरठ के पास का किस्सा है। एक साधारण केस था। एक नौजवान लड़का और एक नौजवान लड़की दोनों शादी करना चाहते थे। दोनों दो विपरीत जाति के थे। वे शादी करना चाहते थे इसलिये उन्होंने भागकर शादी कर दी। दोनों एडल्ट थे। उन्होंने शादी कर दी। यह क्या कहीं हमारे संविधान में लिखा गया है कि गर्दन उतार दो? ये संविधान को तोड़ने वाले कौन हैं? इसको तोड़ने वाले हम लोग ही हैं, यह मेरा कहना है।

जहां पर महिलाओं पर अत्याचार की बात है या पुरुषों पर अत्याचार की बात है या बच्चों पर अत्याचार की बात है यह तो जनरल ला एंड आर्डर की प्राबलम है। हमारे कन्ट्री में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और कच्छ से लेकर कोहिमा तक यह समस्या है। मैं बिहार से आता हूं, जहां पर डावरी इतनी ज्यादा है, श्री चतुरानन मिश्र जी जा रहे हैं। मैं उनको बिहार के बारे में बताना चाहता हूं।

श्री चतुरानन मिश्र: अगर बिहार की बात करना चाहते हैं तो बैठता हूं।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: उनको पता है कि किस तरह वहां माफिया है जो किडनैप करके लड़कों को ले जाते हैं और जबर्दस्ती शादी कराते हैं। जो लड़के दहेज के लिए मांग करते हैं कि हम 10 लाख लेंगे, बीस लाख लेंगे, उनको उठा कर ले जाते हैं और एक दो लाख में सेटलमेंट हो जाती है और ले जा कर जबरदस्ती शादी करा लेते हैं। **(व्यवधान)**

श्री चतुरानन मिश्र: आपकी कांस्टीट्यूंसी में ज्यादा होगा।

श्री एस. एस. अहलुवालिया: हमारी कांस्टीट्यूंसी में ज्यादा होता है। छात्रावास से, होस्टल से लड़के भाग गये, होस्टल खाली कर दिये। लड़कियां किडनेप नहीं होती हैं, लड़के किडनेप होते हैं शादी के लिए।

श्री चतुरानन मिश्र: यह महिलाएं नहीं करती है।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: महिलाओं के पिता करते हैं। **(व्यवधान)** इस तरह से महोदया, अपहरण, अत्याचार, पूरे भारत में है और इसकी संस्कृति को गिराने के लिए जिम्मेदार एक तरफ हमारा सिनेमा है दूसरी तरफ हम लोग राजनीतिक दल वाले भी हैं। हम लोग भी ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। हम लोग भी ऐसे लोगों को पनपा रहे हैं, नर्स कर रहे हैं, ऐसी संस्थाओं का समर्थन करते हैं। ऐसी चीजों को मानने में कोई दुविधा नहीं है, ऐसे लोगों को संरक्षण देना अपराध है। महोदया, इन्होंने जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड की बात कही। इन्साफ नहीं मिल रहा है, यह बात करेक्ट है। पूरे देश में एस॰डी॰एम॰ के कोर्ट से ले कर सुप्रीम कोर्ट तक तीन करोड़ मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। तीन करोड़ मामले जो पेंडिंग हैं पूरे हिन्दुस्तान में उनका फैसला, हो सकता है। छोटे-छोटे चोरी के मामले, अपहरण के मामले, रेप के मामले और दहेज के मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनके फैसले नहीं हो रहे हैं, इनके फैसले होने चाहिए। देश के सामने एक नेशनल एजेंडा होना चाहिये। हम लोगों का यह दुर्भाग्य है कि हर पांच वर्ष या तीन वर्ष में जब चुनाव कराते हैं तो चुनाव में अपने मेनिफेस्टो में वोट बैंक खींचने की बात करते हैं। परन्तु हमारे सामने नेशनल एजेंडा होना चाहिये और उस नेशनल एजेंडे पर इलेक्शन होना चाहिये कि 2000 ए॰डी॰ तक जो केसेज़ हैं वह ज़ीरो होंगे। उस दिन से केस नम्बर दो की शुरूआत होगी। एक नेशनल एजेंडा ऐसा बनाना चाहिये कि हमारी अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति में जो दिन-प्रति-दिन गिरावट आ रही है, उसको रोकने के लिए अंकुश लगाया जाए। कोई यह कहे की सेंसर बोर्ड में जो गाइडलाइंस है वह लगता है, ऐसी बात नहीं है। यह जो बातें हम कह रहे हैं सेंसर बोर्ड के मैम्बर्स को जो गाइडलाइंस दी गई है वह पूरी तरह उसमें लिखी गई हैं कि इस तरह का गाना, इस तरह का प्रदर्शन फिल्मों में नहीं किया जा सकता है। परन्तु आज तो एक परम्परा हो गई है। आप कोई भी फिल्म देख लीजिए चाहे हिन्दी फिल्म हो, तेलुगु फिल्म हो, तमिल फिल्म हो, प्रेगनेंट वूमेन का रेप करते हुए दिखाया जाता है। इससे वीभत्स दृश्य और क्या हो सकता है कि मानव की मस्तिष्क की विकृत्ति उसको किस हद तक ले जा सकती है कि वह ऐसा कुकर्म कर सके। यह तो शिक्षा दी जा रही है सिनेमा घरों से। सिनेमा घर बनाए गए थे सिनेमा दिखाने का काम इनफॉरमेशन एंड ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री का था टू इनफार्म पीपल, टू एजुकेट पीपल, टू गिव इनफारमेशन टू पीपल और सिनेमा घर का काम था फार इंटरटेनमेंट। आज इंटरटेनमेंट का मतलब हो गया है सेक्समेनिया। जिस फिल्म में दो चार रेप सीन नहीं हों, किडनेपिंग सीन नहीं है, केबरे डांस नहीं हैं, वह फिल्म चलती नहीं है, बाक्स आफिस पर मार खाती है इसमें प्रोड्यूसर का दोष नहीं है। देखने वालों का दोष है। इस तरह की भूख हमारे समाज में हमारे मस्तिष्क में घुसाई गई है। इसको बदलने का काम हम सब का है। यह काम तभी हो सकता है, यह सिर्फ कानून से नहीं होगा क्योंकि कानून में कहीं नहीं है कि इस चीज़ को इस तरह से रोको। अच्छी-अच्छी गाइडलाइंस दी गई हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है। उसको अपने तरीके से तोड़ मरोड़कर पेश किया जा रहा है। जिस तरह से मैंने डाउरी सेल के बारे में कहा, उस सेल में कहीं ऐसा नहीं कहा गया है, डाउरी एक्ट में कहीं ऐसा नहीं कहा गया है कि तुम कम्पेनसेशन के रूप में उससे तीन गुना पैसे कैश ले लो। पर यह जबरदस्ती लिया गया है और आउट आफ द कोर्ट फैसला कराया गया। तो कानून को तोड़कर मरोड़कर उसका इंटरप्रेटेशन किया जा रहा है। उसको रोकने की जरूरत है और उसे रोकने की जिम्मेदारी हम सब पर है और इस सदन में जो गणतांत्रिक अधिकारों के इस मंदिर के दिल में बैठे हैं यही लोग यह कर सकते हैं और हम तभी कर सकते हैं जब हम इस पर रोक लगाएं, जब हम कोशिश करें कि हमें इसको बंद करना है।

अब आप कोई भी फिल्म देख लीजिए जो वायोलेंस की है, हर एक फिल्म में ए॰के॰ 47 दिखाई जाती है। हर एक फिल्म में वायोलेंस है-जितनी आतंकवाद की फिल्में आ रही हैं। आतंकवाद में पहले दुनाली बंदूक दिखाते थे, फिर 303 दिखाते थे और आजकल ए.के. 47 दिखाते हैं-और सरेआम। और तो और छोड़िए, राजनैतिक नेताओं का चरित्र हनन हो रहा है फिल्मों में। उनके बारे में जो दिखाया जा रहा है क्या वह सब सच है .....**(व्यवधान)** अगर सच है तो फिर चुनकर क्यों आते हैं। अगर नहीं सच है तो उसका विरोध क्यों नहीं होता है। महोदया, इसका मूल कारण है कि हम दिन पर दिन मूक दर्शक बनकर, चुपचाप इसको भोग रहे हैं। शायद अहिल्या को गौतम ऋषि का श्राप भोगना न पड़ता अगर कहीं अहिल्या सच बोलती या उस वक्त तक, गौतम ऋषि के श्राप देने तक अहिल्या अपनी पूरी बात कर लेती कि प्रभु शयन कक्ष में जब आप प्रवेश कर रहे थे मैंने आपका रूप देखा था, इन्द्र का नहीं देखा था। इस बात को खुलकर कहने की जरूरत है और सच्चाई के लिए लड़ने के लिए हमें आगे आना चाहिए और वह हिम्मत तभी है जब कि हमारे समाज की लड़कियां इस बात का जवाब दें कि जब सड़क पर गाने में कोई छिछोरा गाए कि "तू चीज है बड़ी मस्त मस्त" तो उसको वह चप्पल निकालकर दिखा दे कि यह चप्पल बड़ी है सख्त-सख्त .....**(व्यवधान)**

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी (उत्तर प्रदेश): यह चप्पल तो दूरदर्शन को पहले सोचनी चाहिए .....(**व्यवधान**) पहले उनको दिखानी चाहिए। इस तरह की बेहूदगी वाली बातें ही क्यों होती हैं .....(**व्यवधान**)

श्री एस. एस. अहलुवालिया: मौलाना साहब, आप लेट आए .....(**व्यवधान**)

SHRI VIREN J. SHAH: Not only the silence of woman and the silence of people like all of us, but also our unawareness, our indifference, are important factors. I hope you will say something about that also.

श्री एस. एस. अहलुवालिया: इसके साथ-साथ वीरेन शाह जी ने यह कहा है कि हम लोगों को एजुकेट करें उनकी भाषा में। हम तो अभी तक अपने संविधान का अनुवाद सारी 14 भाषाओं में नहीं कर सके हैं। किस तरह से हम वालंटरी आर्गेनाइजेशंस को इन्वाल्व करते हैं? हम इन्वाल्व करते हैं एकदम उसको-किसके अधिकारों का बताते हैं कि यू.एन. में वीमेन कान्फ्रेंस में यह कहा गया-हम उसकी बात करते हैं। तो यू.एन. में वीमेन के अधिकारों पर जो बातें होती हैं उनमें और हमारी भारतीय संस्कृति की और संस्कारों की बातों में बड़ा फर्क है। मैंने पिछले दिनों भी कहा। जेनेवा में मैं जब गया ह्यूमन राइट्स की कान्फ्रेंस अटेंड करने तो एक स्विस महिला ने मेरे से पूछा-

She said: When did you get married? I said: In 1972. She said: Are you still staying with the same woman? I said: Yes, I said: What about you? She said: I am staying with my seventh husband.

तो इस संस्कृति और उस संस्कृति में जमीन-आसमान का फर्क है। तो वहां की बातें अगर हम लाकर यहां थोपने की कोशिश करेंगे तो शायद मुश्किल होगी। मैं बिहार से आता हूं। बिहार में गांव में-अभी ये जो कार्ड बनने जा रहे हैं। आइडेंटिटी कार्ड-वहां की महिलाएं शायद कैमरे के सामने खड़ी नहीं होंगी। कैमरे के सामने खड़ी होंगी तो घूंघट नहीं उतारेंगी और घूंघट उतार भी दिया तो उसको कहीं पति का नाम पूछ लिया तो वह बताने में असमर्थ है। नहीं बता सकती। हम उस संस्कृति के जीने वाले हैं। .....(**व्यवधान**) नहीं, गौरवान्वित नहीं कर रही है। यह गौरवान्वित कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि सप्तम पति के साथ रहे वह प्रथम पति के साथ ही रहनी चाहिए। वह संस्कृति को इस तरह से इतनी प्रगति से यहां से उठाकर 21वीं सदी की उस स्त्री के साथ मत खड़ा करिए जो गर्व से कहती है कि मैं अपने सप्तम पति के साथ रहती हूं। इस संस्कृति और सभ्यता के पीछे कितनी कुछ चीजें जो जुड़ी हुई हैं। तो गांवों में महिलाओं के अधिकारों के लिए जरूर बताइये उनको, पर अधिकार यह नहीं बताना है कि सब से पहले जो हमारा कल्चर है कहां खत्म हुआ है। हमारे 45 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। उनको तो पता ही नहीं कि कानून क्या है। उनको तो पता हीं नहीं घर कहां है। वह तो स्वामी-स्त्री मिलकर दोनों जाकर मेहनत करके रोज़ी-रोटी कमाते हैं और खाते हैं और दिनचर्या चलती है। आज उन महिलाओं के बारे में यह प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न तो उनके लिए है जो फ्लैट कल्चर में आ गए हैं, जो अपनी फैमिली, ज्वाइंट फैमिली कंसैप्ट को छोड़ कर अलग रहना शुरू कर दिए हैं। अकेले आकर शहरों में बसना जिन्होंने शुरू किया है। जिनको अपने माम-मामी, मौसा-मौसी, चाचा-चाची, ताया-ताई या मां-बाप से छोड़ कर, दोस्त, फ्रैंड्ज, किटी पार्टी की फ्रैंड्ज और ब्वाय फ्रैंड्ज और गर्ल फ्रैंड्ज से मोहब्बत है। यह उस संस्कार की बात कर रहे हैं। यह उस संस्कृति का एक विकृत रूप है जो दिन पर दिन दीमक के तरह लगा जा रहा है और भारत की संस्कृति को खाता जा रहा है। वीरेन जे॰ शाह जी आप एक ऐसी पार्टी को बिलांग करते हैं जो भारतीय संस्कृति की रक्षा, प्रोटेक्ट और प्रिज़र्व करने की बात करती है। तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता को प्रिजर्व करने का तरीका हमारा जरूर है कि हमारे देश में हर मां की, हर बहन की, हर बहू और हर बेटी की इज्जत की रक्षा करना हरेक भारतीय नागरिक का फर्ज बनता है। पर कानून के पहरेदार जिस तरह हम कानून को बनाने वाले हैं कानून के पहरेदार भी हमारे ही बच्चे और हमारे ही भाई हैं। हमें उनको सिखाना है, न कि इस चीज़ को उजागर करना है। .....(**व्यवधान**)

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): हमें भी सीखना है। .....(**व्यवधान**) अगर हम सीख जाएं तो सब ठीक हो जाएगा।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: आप भी पहले सीखो ना। .....(**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): अहलुवालिया जी, आप और कितना समय लेंगे?

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: महोदया, मैं अब समाप्त करूंगा। एक केस मैं कोट करना चाहता हूं। महोदया, दुर्भाग्य की बात है कि अभी क्रिश्चियन विमेन के राइट्स के बारे में, उनके इनहेरेंट राइट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी और यह भी उसी तरह से शाहबानों के केस की जजमेंट के साथ-साथ है। क्रिश्चियन विमेन के अधिकारों की जजमेंट मिली और केरल में इतना बड़ा विद्रोह होने लगा कि केरल सरकार जो कि हमारी सरकार है और मैं उसका विरोध कर रहा हूं, वह वहां पर एक बिल

लाना चाह रही है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को नेगेटिव कर रही है। यहां मैं क्रिश्चियन महिलाओं की जो मांग है और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसके हक में बोलता हुआ कहता हूं कि ये हक बरकरार रहने चाहिएं और ये हक बराबर के मिलने चाहिएं। इसका विरोध नहीं होना चाहिए।

उसी तरह से, मैं अंत में अपना वक्तव्य समाप्त करने के पहले गुजारिश करूंगा कि यह जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस अधिकारियों की नहीं है, यह जिम्मेवारी सिर्फ जजों की नहीं है और यह जिम्मेवारी सिर्फ समाज सेवकों की नहीं है, यह जिम्मेवारी हर मां-बाप की है, हर भाई-बहन की है, हर पति-पत्नी की है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम सांसदों की है, हम समाज सेवकों की है कि गांव-गांव जाकर हम यह बताएं कि अगर हम किसी सेमिनार में जाते हैं जहां जूडिसरी की बात होती है तो वहां हमारा पहला प्रश्न यह होना चाहिए कि इसके लिए स्पेशल प्रोविजन की जरूरत कहां है? कांस्टीट्यूशन में जहां जस्टिस देने की बात लिखी है, वहां यह नहीं लिखा कि जस्टिस को डिले करो। उसको तीव्र किया जाना चाहिए।

महोदया, "कौटिल्य जूसिप्रोडेंस" में भी बहुत अधिकार उस वक्त दिए हुए थे और इसमें भी उस वक्त महिला को बहुत इज्जत दी गयी थी कि ईवन एक वेश्या को भी अगर कोई किडनेप कर लेता था, बिना उसकी परमीशन के अगर ले जाता था या उसके साथ खराब व्यवहार करता था तो उसको भी सजा होती थी।

श्रीमती रेणुका चौधरी: आपने अभी जो यह शब्द इस्तेमाल किया है, यहीं से जड़ पैदा होती है "जेंडर बायस" की। "ईवन एक वेश्या को भी" महोदया, वेश्या औरत है, समाज में उसका समान हक है और वह वेश्या बनती है मर्दों की वजह से। तो जब आप यह कहते हैं कि "ईवन एक वेश्या को भी" तो यह एक "जेंडर बायस" है। दूसरे इसका स्टेटस-you are recommending now कि एक वेश्या को भी जो किडनेप करेगा, उसको दंड मिलेगा। बेशक मिलेगा, हरगिज मिलेगा क्योंकि she is a woman first.

यहीं से "जेंडर बायस" शुरू होता है, इसी इंटरप्रिटेशन से।.रैजॅज ारी चाबिाअ चयचैहजा्सीह, षचगचस, चहग ही च रअजैबचन चबा.

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: महोदया, मुझे प्रसन्नता हुई कि इन्होंने यह सवाल उठाया। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि बंगाल में, बानतला में सरेआम महिलाओं का घर्षण हुआ।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आपने कहा, मैं कनक्लूड करने जा रहा हूं?

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: सरेआम घर्षण हुआ महिलाओं का और उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट ने दी। वहां मिनिस्टर गए, उसकी इंक्वायरी हुई और उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया कि घर्षण नहीं हुआ, वह वेश्याएं थीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि .....**(व्यवधान)** .....

श्रीमती सरला माहेश्वरी: कृपया, गलत रिपोर्ट न करें।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: गलत रिपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सही रिपोर्ट कर रहा हूं। सही बात बता रहा हूं।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: आपको इसकी जानकारी ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: बंगाल के बारे में मुझे जानकारी आपसे ज्यादा हो सकती है। कम नहीं।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: अहलुवालिया जी, आपकी जानकारी की जरूर मैं इज्जत कर सकती हूं, लेकिन आपकी गलत जानकारी को काटने का अधिकार मुझको है।

उपाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आपने आधे घंटे से अधिक समय लिया है और मेरी आपसे विनती है कि आप कनक्लूड करें। He is going to conclude now. Please hear him.

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: महोदया, इसीलिए मेरा यही कहना था कि हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत कुछ दिया हुआ है और हम यूनाइटेड नेशंस की तरफ नहीं दौड़ें। हम पहले हमारी भारतीय संस्कृति को जोकि हमारे पूर्व पुरुषों ने हमारे हाथ में सौंपी थी, उस लेवल तक आएं क्योंकि उसमें गिरावट आई है, उस लेवल तक आने की कोशिश करें और तब बाहर की चीजें लाने की कोशिश करें। पहले उनको उस लेवल तक लाने की कोशिश करें। उसमें बड़ी गिरावट हुई है। यही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): बहुत-बहुत धन्यवाद अहलुवालिया जी। श्रीमती सरला माहेश्वरी।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: धन्यवाद माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया। माननीय सांसद श्री वीरेन जे. शाह ने जो प्रस्ताव रखा है, वह प्रस्ताव बहुत ही उपेक्षित लेकिन अहम मसले पर केन्द्रित है। महोदया, श्री शाह ने अपने प्रस्ताव में कई बातों का जिक्र करते हुए इस बात पर ध्यान केन्द्रित किया है कि हमें महिलाओं पर ज्यादतियों या अत्याचारों को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन या आगे के स्तर पर फेरबदल करने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदया, श्री शाह ने न सिर्फ अपने इस प्रस्ताव में बल्कि अपने भाषण के दौराने भी जिस विषय पर ध्यान

केन्द्रित किया है, उसका भी मूल उद्देश्य यही था कि हमें कानून के स्तर पर पुलिस और प्रशासन के स्तर पर सुधार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कुछ घटनाओं को बयान किया, औरतों की अस्मत लूटा जाना, छेड़छाड़ी, बलात्कार आदि घटनाओं का जिक्र किया। यहां तक श्री शाह द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव में प्रशासनिक और कानूनी सुधारों का संबंध है, इससे बुनियादी तौर पर मेरी कोई असहमति नहीं है।

महोदया, उन्होंने दिल्ली में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों का एक तथ्यात्मक ब्यौरा दिया और मुझसे पहले मेरी पूर्ववर्ती वक्ता ने भी एक ब्यौरा दिया। तथ्यों का हेरफेर हो सकता है, लेकिन यहां तक गृह मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय स्तर के जो तथ्य दिए गए हैं, वह तथ्य और भी चौकाने वाले हैं। इन तथ्यों से पता चलता है कि हमारे देश में हर 7वें मिनट पर महिलाओं के विरुद्ध कोई न कोई अपराध की घटना घटती है, हर 54 मिनट पर किसी न किसी महिला की इज्जत लूटी जाती है, हर 26 मिनट पर छेड़छाड़ी की घटना घटती है, हर 43 मिनट पर एक महिला का अपहरण होता है और हर 102 मिनट पर एक दहेज हत्या होती है। यह है 1989 से 1991 का पुलिस के रिकार्ड का ब्यौरा, जो पुलिस ने मामले दर्ज किए। इसके अलावा और भी कितने ही अनगिनत मामले होंगे, जो पुलिस दर्ज नहीं कर सकी। आज के इस माहौल में इन मुकदमों की, जो दर्ज नहीं किए जा सके, कितनी संख्या होगी, शायद हम इसका अंदाज नहीं लगा सकते।

उपाध्यक्ष महोदया, महिलाओं को जुल्म और हिंसा से बचाया जा सके, इसके बारे में श्री शाह ने जिन कानूनी और प्रशासनिक सुधारों के प्रस्ताव पेश किए हैं, उन प्रस्तावों को और समृद्ध बनाया जा सकता है, उनमें काफी कुछ जोड़ा जा सकता है। अब उस बारे में क्या कुछ जोड़ा जा सकता है, यह सवाल मैं बाद में उठाऊंगी, लेकिन मैं एक जो बुनियादी सवाल उठाना चाहूंगी, उसकी चर्चा पहले करूंगी। श्री शाह ने जिन मांगों को दोहराया है, मैं भी उन मांगों को दोहराना चाहूंगी, लेकिन इसके साथ ही मैं जिस बुनियादी मसले को उठाना चाहती हूं, वह यह कि औरतों पर होने वाले अत्याचार, औरतों पर होने वाले जुल्म की वास्तविक जड़ें कहां हैं? क्या औरतों पर होने वाले जुल्म, औरतों पर होने वाले अत्याचार सिर्फ कानून और प्रशासन का मसला है या इसकी जड़े हमारे समाज के अंदर केन्द्रित हैं?

उपाध्यक्ष महोदया, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जिस सामाजिक ढांचे को हम समझना चाहते हैं, कानून की जो हम बात करते हैं, संवैधानिक प्रतिबद्धताओं की बात करते हैं, संवैधानिक घोषणाओं की बात करते हैं, हमसे ज्यादा पहले जिन देशों ने, जिन पश्चिम के देशों ने महिलाओं के समानता के संबंध में कानून पास किए और यहां तक कि उन समाजों में बुनियादी तौर पर इस बात में कोई भेद नहीं है कि औरतों को पुरुषों के बाराबर समानता का अधिकार होना चाहिए, लेकिन उन समाजों की भी आज यह स्थिति है कि वह समाज भी पुरुष आधिपत्य से, सदियों के संस्कारों से आज तक मुक्त नहीं हो पाए हैं। इससे इंकार तो हम नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदया, यहां मैं हेवलोक एलिस की बात को उद्धृत करना चाहूंगी, जिसमें वह कहते हैं-

"At the present time, the husband's authority has been overlaid by new social conventions from above and undermined by new regulations from below. Yet it is important to realise, although the husband's domestic throne has been in appearance, elegantly recovered and in substance has become worm-eaten, it still stands and still retains ancient shape and structure. There has never been a French Revolution in the home, and that revolution itself, which modified society so extensively, scarcely modified the legal supremacy of the husband at all, even in France under the code of Napolean, and still less anywhere else. Interwoven with all the new developments, and however less obtrusive it may have become, the old tradition still continues among us."

जिसे हमारे अहलुवालिया जी समझ नहीं पा रहे थे, इससे शायद उनकी समझ कुछ साफ हो। उपाध्यक्ष महोदया, मैं ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): I hope, Mr. Ahluwalia is listening to us!

अहलुवालिया जी, आप जरा सुनिए।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं जिस बात को कहना चाहती हूं वह यह है कि हमें इस बात को कतई नहीं भूलना चाहिए कि औरतों पर होने वाले जुल्म व्यक्तिगत या किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति पर किया गया जुल्म मात्र नहीं है। हालांकि हर अपराध के पीछे एक अपराधी होता है और हर अपराध का एक व्यक्ति होता है जो स्वीकार करता है, लेकिन इसके बावजूद हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अपराधी और अपराध का जन्म कहां से होता है? समाज के उस बुनियादी ढांचे को हमें देखना होगा जो बुनियादी ढांचा अपराधों को जन्म देता है, एक व्यक्ति को अपराधी बनाता है और दूसरे

व्यक्ति को अपराध का शिकार बनाता है। इस मूल वास्तविकता को, इस यथार्थ को हमें समझना चाहिए।

महोदया, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमें महिलाओं की जो आज समस्याएं हैं, श्री वीरेन जी प्रस्ताव लेकर आए हैं, मैं यह कहना चाहती हूं कि आज महिलाओं की उन समस्याओं को हमें सही रूप में, सही मायनों में समझना है। जिस भारतीय संस्कृति की आप बात करते हैं, उस भारतीय संस्कृति को क्या आप सही रूप में जानते हैं, भारतीय संस्कृति को क्या आप सही रूप में समझते हैं? निःसंदेह हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि अपनी संस्कृति को हम आंख बंद करके देखें, वह संस्कृति नहीं होती। हमारी संस्कृति में बहुत सी चीजें अच्छी होती हैं, बहुत सी खराब होती हैं, हमें उसको छानना होगा। हमारी परम्परा कैसे बनती है? परम्परा इस तरह से नहीं बनती, कचरे की तरह कभी परम्परा नहीं बनती। परम्परा आप इस तरह से बनाएंगे कि आप उस परम्परा में से अच्छी चीजों को छांटेंगे, यह नहीं कि हमारे समाज में जो कुछ है, सब अच्छा है। आपकी संस्कृति में तो कहा गया है:-

न स्त्री स्वातंत्रय आर्हते

जो मनु कहता है कि "यत्र नारी पूज्यते, तत्र रमंते देवता", उसी मनु के सामने इस तरह की स्वतंत्रता सबसे बड़ी बाधा के रूप में खड़ी होती है। यह बात आपको समझ में नहीं आती है। इसके पीछे कौन ...(**व्यवधान**)...

श्री एस. एस. अहलुवालिया: महोदया, मैंने मनु-स्मृति को यहां क्वोट नहीं किया, मैं उस संस्कृति और परम्परा को मानने वाला हूं जो "या देवी सर्वभूतेषु" कहती है और जो शक्ति की अराधना के लिए भी देवी की अराधना करती है। उस देवी का रूप स्त्री का रूप है।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): हां, आपने कहा था यह।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: महोदया, मेरा तात्पर्य यह नहीं था कि इन्होंने "मनु-स्मृति" को क्वोट किया है या नहीं किया है, "मनु-स्मृति" के बारे में इनकी समझ क्या है। मैंने इनके भाषण से भारतीय संस्कृति के बारे इनकी जो समझ थी, मैं जहां तक समझ पाई, इसी रूप में समझ पाई। बहरहाल ..(**व्यवधान**)..

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: इसी तरह दूसरा भी मेरा एक प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता में गिरावट आई है, पहले हम उस माइनस से उस लेवल तक आएं वापिस, उसके बाद हम और कोई बात करेंगे।

श्री नीलोत्पल बसु (पश्चिमी बंगाल): यह बहुत गलत बात है। गलत बात इसलिए है कि उस तरह से नापा नहीं जा सकता है संस्कृति की गिरावट को।

श्री एस. एस. अहलुवालिया: कैसे नापा जाता है?

श्री नीलोत्पल बसु: संस्कृति की गिरावट नापी जाती है समय के साथ-साथ।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): अहलुवालिया जी और आपमें जो झड़प हो रही है, वही चलती रहेगी या सरला जी को भी सुनेंगे आप? ..(**व्यवधान**)..

श्रीमती सरला माहेश्वरी: अहलुवालिया जी, अच्छी बात है अगर आप हमारी संस्कृति के अंतरविरोधों को समझ जाएं और उस संस्कृति के जो मूल्य हैं, वे मूल्य कैसे एक व्यवस्था के साथ जन्म लेते हैं और कैसे बदलते जाते हैं, अगर इनकी सही समझ आप विकसित कर सकें तो हमारे समाज के विकास में आप बहुत अच्छा योगदान दे सकेंगे और महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध आप एक अच्छे प्रहरी बन सकेंगे।

श्री ओ. पी. कोहली (दिल्ली): स्वीकार कर लो जी।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): यह आप अहलुवालिया जी को कह रहे हैं या सबके लिए यह लागू होगा?

श्रीमती सरला माहेश्वरी: महोदया, मैं इस बात को कहना चाहती थी कि हमें आज सिर्फ ऊपरी तौर पर जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों की सिर्फ ऊपरी तस्वीर को देखकर या सिर्फ फूलों को देखकर पेड़ की असलियत का पता नहीं चलता, तो मैं यह कहना चाहती हूं कि हमें अगर वास्तव में अपने समाज को समझना है.... अगर हमें अपने समाज में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की मानसिकता को समझना है तो हमें अपने समाज को समझना होगा कि हमारा समाज क्या है, इसका रूप क्या है, इसका ढांचा क्या है और इस ढांचे में ये समाज कौन से मूल्यों को जन्म दे सकता है। तो उपाध्यक्ष महोदया, जब मैं अपने समाज की बात करती हूं तो हमारा समाज वर्ग पर और लिंग के आधार पर टिकी हुई ऐसी असमानताओं से भरा हुआ है जिसमें औरतों के प्रति असमान व्यवहार करना ही शायद स्वभाविक माना जाता है।

उपाध्यक्ष महोदया, इधर के वर्षों में जो एक विशेष पहलू हमारे सामने आया है जिसे आपने भी नोट किया होगा, वह यह है कि किस तरह पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं पर सामाजिक रूप में संगठित हिंसा हो रही है। आम तौर पर जातिगत दंगों में और सांप्रदायिक दंगों में महिलाओं

पर होने वाली हिंसा तो हम देखते हैं लेकिन इधर के वर्षों में जो एक खास बात हम देख रहे हैं वह यह है कि उपभोक्ता संस्कृति के चलते आज महिलाओं पर संगठित हिंसा हो रही है। हाल ही में जलगांव सेक्स कांड इसका ताज़ा उदाहरण है कि किस तरह ये उपभोक्ता संस्कृति हमारे समाज में महिलाओं पर अत्याचार कर रही है। महोदया, हमारे समाज में फैली हुई विषमताओं के कारण उत्पीड़ित और शोषित महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय बनी हुई है।

महोदया, पितृ-सत्तात्मक समाज की विचारधारा जिस तरह हमारे जनमानस पर हावी है और जिस तरह हमारे जनमानस को जकड़े हुए है, उसमें औरतों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार को ही सही मान लिया जाता है हमारी संस्कृति के नाम पर। उपाध्यक्ष महोदया, मैं जिस बात को कहना चाहती हूं वह यह है कि आज जिस उपभोक्ता संस्कृति की हम चर्चा कर रहे हैं, उस उपभोक्ता संस्कृति का बढ़ता हुआ दानव किस तरह हमारे मूल्यों को बदल रहा है और यह आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण और ढांचागत समायोजन की हमारी नीतियां किस तरह महिलाओं को उनके परंपरागत रोज़गार के क्षेत्रों से अलग करके, परंपरागत रोज़गार के क्षेत्रों से बेदखल करके महिलाओं की जिंदगी को इतना बदतर बना रहीं है कि आज शायद हमारे अहलुवालिया जी को यकीन न हो, इसलिए मैं उनको बताना चाहूंगी कि 1995 में होने वाले बीजिंग सम्मेलन के लिए तैयार किया गया हमारा कंट्री पेपर क्या कहता है, उसको मैं उद्धृत करना चाहती हूं। महोदया, हमारे देश के इस दस्तावेज में यह कहा गया है कि-

> "Overall, the economic pressures may compel housholds to take recourse to various survival strategies. The burden of this adjustment process will fall disproportionately on the shoulders of women. The emergence of 'sex tourism' in other grey areas of employment into prominence is an indicator of the desperation of the situation, confronting women undergoing the structural adjustment programmes elsewhere. There has also been a phenomenal expansion of international migration of women from many countries undergoing SAP to the Middle-East, to work as domestic helpers. These migrant workers scattered as they are in alien domestic households are at the bottom of labour ladder with lowest scales of pay, often harassed sexually and psychologically broken."

ये है आर्थिक उदारीकरण और इन नयी आर्थिक नीतियों का नतीजा जो सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि उन तमाम देशों में नजर आ रहा है जिन्होंने इन ढांचागत समायोजन के कार्यक्रमों को अपनाया है और आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपनाया है। हमारे देश का भविष्य क्या होगा, हमारे देश की भावी तस्वीर क्या होगी, इसका कुछ खाका शायद अब हमारे सामने स्पष्ट हो गया होगा।

उपाध्यक्ष महोदया, इसी उपभोक्तावादी संस्कृति के चलते आज हम क्या देख रहे हैं कि आज नारी के प्रति जुल्म का प्रारंभ भ्रूणावस्था से ही शुरू हो जाता है। आज बेटी के स्थान पर बेटा पाने की इच्छा का संबंध सिर्फ हमारे परंपरागत, रुढ़िवादी मूल्यों के साथ नहीं है बल्कि इसका संबंध हमारे लगातार वाणिज्यिक होते जा रहे संबंधों से भी है। हमारे सभी शहरों और कस्बों में दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ रहे इन भ्रूण परीक्षण केन्द्रों की संख्या को हम देखें तो हमारे सामने यह चौंकाने वाला तथ्य आता है कि ... इन भ्रूण परीक्षण केन्द्रों की असलियत को अगर हम देखें तो हमारे सामने यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है कि किस तरह दो वर्ष पहले बम्बई से हमारे सामने कुछ तथ्य आए थे। एक लाख भ्रूण परीक्षण किए गए। उसमें 99 परसेंट जो भ्रूण हत्याएं की गई वह कन्याओं की हत्याएं की गई। क्या यह हमारे लिए चौंकाने वाले आंकड़े नहीं हैं? क्या आबादी में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की कम हुई संख्या इस बात की गवाही नहीं देती कि हमारा समाज महिलाओं को किस नजरिए से देख रहा है? उपसभाध्यक्ष महोदया, पहले से ही सामाजिक भेदभाव के कारण जब हमारी आबादी में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम होती जा रही है, वहीं इन भ्रूण परीक्षण केन्द्रों ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया है। औरतों के प्रति समाजिक भेदभाव के प्रश्न को, उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न समझती हूं, क्योंकि यह सामाजिक भेदभाव ही वह चीज है जो औरत को अंदर से कमजोर, डरपोक और असहाय बनाती है। इसके चलते ही वह छोटे से छोटे सामाजिक जुल्मों का प्रतिकार करने में अपने को असमर्थ पाती है और फलतः आसानी से हर जुल्म का शिकार बन जाती है। यह एक बहुत ही जरूरी पहलू है, क्योंकि हम सिर्फ औरतों पर होने वाली ज्यादती या अत्याचारों को, दहेज प्रथा, बलात्कार या छेड़छाड़ या भ्रूण हत्या के अपराधों तक सीमित करके नहीं देखना चाहते। हमारे सामने औरतों की समानता का प्रश्न एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि तभी वह इस समाज में एक मनुष्य के रूप में अपनी इज्जत और अपने

समान सम्मान को बरकरार रख सकती है। औरतों पर जुल्मों के बारे में सोचते हुए अगर हम इस परिपेक्ष्य को भूल जाएंगे तो मैं समझती हूं कि हम बहुत ही आधे अधूरे रूप में इस समस्या का मूल्यांकन करेंगे। उपसभाध्यक्ष महोदया, जब हम औरत की समानता की बात करते हैं तो इससे हमारा सीधा-सादा मतलब यह होता है कि औरत को उस सामंती पूंजीवादी मूल्य बोध से मुक्त करना जो मूल्य बोध औरत को या तो सिर्फ देवी के रूप में या सिर्फ दासी के रूप में या उपभोग की वस्तु मात्र समझती है और औरत के एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के होने से इंकार करती है। उपसभाध्यक्ष महोदया, कहने का मतलब यह है कि समाजिक स्तर पर जो पिछड़ी हुई विचारधाराएं हैं, जो रैट्रोग्रेसिव आईडियाज हैं उन आईडियाज की, उन पिछड़ी हुई विचारधाराओं के चलते समाज में औरतों की यह कमजोर स्थिति बन जाती है। वह भी इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। सभी शोषक समाजों में औरतों को किस रूप में देखा जाता है? औरतों की चर्चा या तो सेकेंड सैक्स के रूप में या वीकर सैक्स के रूप में की जाती है और मनुष्य के रूप में प्राप्त होने वाली मर्यादा से उसे हमेशा से वंचित कर दिया जाता है। उपसभाध्यक्ष महोदया, आज के जमाने में भी ऐसा सोचने वाले लोगों की संख्या कम नहीं हैं, जो यह समझते हैं कि शायद ऊपर वाले ने औरत की शारीरिक रचना ही इसलिए की है ताकि वह पुरुषों का अत्याचार सहने के लिए बाध्य हो। शायद यही नैसर्गिक नियम है। उपसभाध्यक्ष महोदया, जिस पितृ सत्तात्मक समाज की विचारधारा की मैं बात कर रही थी, उस पितृ सत्तात्मक समाज की विचारधारा का मूलमंत्र यही है कि भारत में पूर्व पूंजीवादी अर्द्ध सामंती उत्पादन संबंधों का जो सामाजिक ढांचा है, उस सामाजिक ढांचे में पितृ सत्तात्मक व्यवस्था जातिवादी और धार्मिक तत्ववाद के रूप में देखी जाती है। यहां तक कि हमने देखा है कि अंग्रेजों ने भी, जब अलग-अलग सम्प्रदायों के लिए निजी कानूनों की रचना करने का सवाल आया, तब उन्होंने हमारे यहां के जो परम्परागत मूल्य थे, उन परम्परागत मूल्यों से टकराने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन परम्परागत मूल्यों को ही उन्होंने बरकरार रखने की कोशिश की और हमने यह अनुभव किया और हमने देखा कि किस तरह सती प्रथा या बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराईयों के क्षेत्र में कुछ योगदान करने के बावजूद वह भी जब हमारे यहां इतना बड़ा आंदोलन छिड़ा तब वे बाध्य हुए, अन्यथा उनकी करने की इच्छा नहीं थी। तो सवाल यह है कि वह जो परम्परागत मूल्य थे, वह जो पिछड़े हुए मूल्य बोध थे, उन पिछड़े हुए मूल्य बोध को उस व्यवस्था ने भी बरकरार रखा। आजादी के बाद हमारे शासक वर्ग ने कुछ और क्षेत्रों में सुधार किया था। हिंदु कोड बिल लाया गया। संविधान में यह घोषणा की गई कि धर्म, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। औरत को समानता का दर्जा दिया गया लेकिन हमने क्या देखा कि हमारे शासक वर्ग ने विकास का जो रास्ता अपनाया, वह रास्ता था पूंजीवादी रास्ता और उस पूंजीवादी रास्ते के चलते सारे के सारे संबंध वाणिज्यिक संबंध हो जाते हैं। जहां मां-बाप-बेटा-बेटी का संबंध रुपए और नकद कौड़ी में तोला जाता है। वह रास्ता हमने चुना और उस रास्ते के जो स्वाभाविक, कुत्सित परिणाम थे, उनको आज हम देख रहे हैं।

महोदया, विकास के इस क्रम में हुआ क्या कि औरत को एक बिकाऊ माल बना दिया गया और इसी का परिणाम यह है जो हम आज देख रहे हैं कि हमारे समाज में लगातार देहज की मांग, वधु-दहन, वधु-हत्या, औरतों पर शारीरिक दमन, शारीरिक अत्याचार, महिला मजदूरों का यौन शोषण, ये तमाम अपराध दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रकार उपाध्यक्ष महोदया, औरत जहां एक तरफ पूर्व पूंजीवादी शोषण के चलते परेशान थी, ऊपर से औरत को उपभोग की वस्तु बनाकर इस पूंजीवादी संस्कृति ने उसको न घर का रखा न घाट का रखा।

इस पूरे संदर्भ में हमारी सरकार की क्या भूमिका रही है, इसे हम अच्छी तरह जानते हैं। महोदया, आप स्वयं इसे जानती हैं। अभी अहलुवालिया जी जिक्र कर रहे थे ईसाई महिलाओं का लेकिन शाहबानों के मामले में हमने क्या देखा? किस तरह अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को जो अधिकार प्राप्त थे, उन अधिकारों को छीन लिया गया। हमारे यहां हम देखते हैं कि धर्म का सीधा-सीधा संबंध मनुष्य के कुछ निश्चित आचार-व्यवहार से लिया जाता है। परंपरा या रुढ़िगत आचार-व्यवहार को ही हम वास्तव में धर्म का नाम दे देते हैं। कर्म की विचारधारा ने इस तथाकथित वर्ण-व्यवस्था को जन्म दिया और इसके चलते जातिवाद आज हमारे समाज की एक ऐसी चरम बुराई के रूप में सामने आ रहा है जो महिलाओं पर अत्याचार का एक बहुत बड़ा कारण है। इसी जाति-धर्म ने पिछड़ी हुई जातियों, गरीबों की औरतों पर बुरे से बुरे जुल्म करने में कसर नहीं छोड़ी है। जब हम औरतों पर जुल्म की बात करते हैं तो हम पिछड़ी हुई जातियों, दलित जातियों पर होने वाले जुल्मों और अत्याचारों को कभी नहीं भूल सकते क्योंकि वे ही महिलाएं हैं जो सबसे ज्यादा जुल्म और अत्याचार की शिकार होती हैं। इसीलिए जब मैं श्री वीरेन जे. शाह द्वारा रखे गए प्रस्ताव को देखती हूं तो निश्चित रूप में इसमें जो मांगें उन्होंने उठाई हैं, उनसे मेरी कोई असहमति नहीं है और मैं उनका समर्थन करती हूं लेकिन

श्री शाह के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं उनसे इस दृष्टिकोण से भी विचार करने का निवेदन करूंगी क्योंकि मैं समझती हूं कि औरतों पर होने वाले जुल्म की खबरें अखबारों में छपी हुई देखकर उनका मन जरूर विगलित होता होगा, उनकी आत्मा जरूर कचोटती होगी और शायद इसीलिए वे ऐसा प्रस्ताव लेकर आए हैं लेकिन औरतों पर होने वाले इन जुल्मों और अत्याचारों के लिए हमारे समाज में मौजुद जो प्रभुत्वशाली विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं को वह समझने के लिए तैयार नहीं हैं, उन विचारधाराओं को वह देखने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कि श्री शाह ने इस प्रस्ताव का जो प्रारूप तैयार किया है, वह प्रारूप भी काफी उथला सा मुझे लगता है, उसमें एकांगी दृष्टिकोण मुझे नजर आता है। महोदया, इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि श्री शाह का यह प्रस्ताव जो मुझे आधा-अधूरा और एकांगी नजरिए वाला लगता है, उसके पीछे कारण क्या हैं, कारण यह है कि श्री शाह जिस पार्टी के प्रतिनिधि हैं...(**व्यवधान**)

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: I object to this, Madam. She is deviating from the subject. It has become her habit. I have observed it on many occasions. She should confine herself to the subject only. We are concerned with atrocities on women, with how to curb them and with how to bring an end to the atrocities. The whole House is concerned with this. I will request the hon. Member that she should not deviate from the subject. We should not play politics. The whole House is concerned with this. I request the hon. Member that she should not deviate from the subject. She should not play politics. We have said several times in this House that on the issue relating to the poor people, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the weaker sections of society, we shall not play politics. I request the hon. Member not to do that. Otherwise we are here to reply to her each and every point. She has said it here.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Mrs. Maheshwari has not said anything derogatory. You cannot say all those things. She had not even concluded her sentence.

श्रीमती सरला माहेश्वरी: आपकी पार्टी का नाम लेना क्या गैर कानूनी है, क्या असंवैधानिक है? ....(**व्यवधान**)....

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आप अपना पूरा कीजिए।

श्री संघ प्रिय गौतम: आपको हमारी पार्टी का नाम लिए बगैर खाना हज़म नहीं होता.....(**व्यवधान**)....

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): सरला जी आप बोलिए।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: मुझे तो अफसोस है कि....

श्री संघ प्रिय गौतम: अफसोस तो मुझे भी है। .....(**व्यवधान**)....

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आखिर माहिलाओं के अत्याचार के लिए आपने बिल यहां पेश किया और उस बिल पर चर्चा कर रही हैं एक महिला। उसने कोई ऐसी बात नहीं कहीं जिसमें आपको आपत्ति होनी चाहिए।.....(**व्यवधान**)....

श्री संघ प्रिय गौतम: बीजेपी पर अत्याचार कर रही हैं।.....(**व्यवधान**)....

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आप पर तो अत्याचार नहीं कर रही हैं, बीजेपी पर अत्याचार कर रही हैं। You must have some patience to listen to women also.

श्रीमती सरला महेश्वरी: उपसभाध्यक्ष महोदया, मेरा जो विश्वास है, जिस विचारधारा को मैं मानती हूं, जिस रूप में इस समस्या को मैं देखना चाहती हूं मैं उसी रूप में इसको रखना चाहती हूं। आप माननीय सांसद यह कहना चाहें कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नाम न लूं, उनकी विचारधारा की बात न करूं, भले ही उनकी विचारधारा महिला विरोधी रही हो या कुछ भी क्यों न रही हो, यह मुश्किल है। हम अपने दृष्टिकोण से राजनीति करते हैं। एक राजनीतिक विचारधारा क्या है उस विचाराधारा को मैं किस रूप में देखती हूं या हमारी पार्टी किस रूप में देखती है यह मैं कहना चाहती हूं। आखिर हम यहां पर राजनीतिक बहस करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। यह क्या बात है कि हर समय यह बात उठाई जाती है कि राजनीति से ऊपर.....(**व्यवधान**) ....

SHRI VIREN J. SHAH: Please do say whatever you like to say. We will respond to your points.

SHRIMATI SARALA MAHESHWARI: Mr. Viren Shah is quite right.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Sarala Ji, whatever you want to say you speak. सरला जी आप अपना दृष्टिकोण

रखिये सदन के सामने। ....(व्यवधान)....

श्रीमती सरला माहेश्वरी: धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदया जी। मैं जिस बात को कहना चाहती हूं हमारे सांसद महोदय को पसन्द नहीं आया। बहरहाल मैं जिस बात को कह रही थी वह यह थी कि श्री वीरेन जे. शाह द्वारा रखा गया प्रस्ताव मुझे एकांगी नजर आता है, आधा-अधूरा नजर आता है। क्यों नजर आता है जब मैं इस बात की समीक्षा करती हूं, जब इस बात का विश्लेषण करती हूं तो मुझे ऐसा लगता है शायद इसके पीछे कहीं न कहीं वह बात काम कर रही है, वह विचारधारा काम कर रही है जिस विचारधारा से ये सम्बद्ध रहे हैं। वह विचारधारा कौन सी है? वह विचारधारा महिलाओं को किस नजरिये से देखती है उस बात को मैं रखना चाहती हूं। मैं यह कहना चाहती हूं कि जिस विचारधारा से हमारे माननीय सांसद सम्बन्ध रखते हैं वह विचारधारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा है। वह विचारधारा महिलाओं को किस रूप में देखती है? इतिहास गवाह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने महिलाओं के प्रगतिशील रूपान्तरण के लिए जितने भी कदम उठाये गये सारे के सारे प्रगतिशील रुपान्तरण कदमों का विरोध किया। ....(व्यवधान)....

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता (मध्य प्रदेश): कोई भी एक घटना बताइये। ....(व्यवधान)....

श्रीमती सरला माहेश्वरी: आप सुनते तो हैं नहीं। .....(व्यवधान)''

श्री गोविन्दराम मिरी: आप एक भी घटना बता दीजिए। ....(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): सरला जी ने अपने विचार रखे हैं। .....(व्यवधान)

श्रीमती सरला माहेश्वरी: हमें सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। ....(व्यवधान)

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता: महोदया, यह विषय को मोड़ना चाहती हैं। इसकी गम्भीरता को खत्म कर रही हैं। .....(व्यवधान) आप एक भी घटना बताइये .....(व्यवधान)

श्री नीलोत्पल बसु: आप खंडन कर दीजिए। ....(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): अग्रवाल जी, आप ....(व्यवधान)

श्रीमती सरला माहेश्वरी: उपाध्यक्ष महोदया, मैं निवेदन करुंगी कि मुझे बोलने दिया जाए। ....(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): मेरा निवेदन है कि आप अपने विचारों को इस बिल पर बोलते हुए जरुर व्यक्त कीजिए लेकिन कोई ऐसा आपत्तिजनक ब्यान मत दीजिए, जिसकी वजह से उनका बोलना भी आवश्यक हो और आपका बोलना भी आवश्यक हो जाए। (व्यवधान)

श्रीमती सरला माहेश्वरी: मैं बिल्कुल आपत्तिजनक ब्यान नहीं दे रही हूं। (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आप जरूर आगे आइए और जरूर बोलिए।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: उपाध्यक्ष महोदया, मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहती लेकिन किसी की भावनाओं को आहत करने के नाम पर मैं यह भी नहीं चाहती हूं कि मैं अपने विचारों से समझौता करूं या जो इतिहास हमने देखा है, उसको मैं यहां न रखूं।.....(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): मेरा इधर के माननीय सदस्यों से निवेदन है .....(व्यवधान) ....गौतम जी .....(व्यवधान)

श्री संघ प्रिय गौतम: आपकी हिस्टरी क्या .....(व्यवधान)

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता: महोदया, यह गंभीर विषय है, मुझे उम्मीद थी कि सरला बहनजी बहुत अच्छी तरह से अपनी बात को रखेंगी। ....(व्यवधान)

आप इसमें राजनीति को क्यों ला रही हैं? आप आर.एस.एस. .....(व्यवधान) फिर हम आपके बारे में बोलेंगे, आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, यह आप समझ लीजिए।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): मेरा आप सभी से यह निवेदन रहेगा, सरला जी, आप इस बिल पर जो बोल रही हैं। .....(व्यवधान)

श्रीमती सरला माहेश्वरी: प्वाईंट आफ आर्डर .....(व्यवधान) आपको रूलिंग करनी चाहिए .....(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आपने अपने विचारों को अभी तक बहुत अच्छे ढंग से रखा है, आगे भी इसको अच्छे ढंग से रखिएगा और इधर के माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप इतने जोश में आकर बोल जाने और असमंजस में पड़ने की कोशिश मत करिए। समझने की कोशिश कीजिए कि वह क्या कह रही हैं। हर किसी को अपने विचार सदन में रखने हैं, उनको बोलने दीजिए, उसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर

राजनीति लाने की कोशिश करती हैं तो मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि वह अपने भाषण में किसी प्रकार की राजनीति नहीं लाएं। .....(व्यवधान)

श्रीमती सरला माहेश्वरी: अध्यक्ष महोदया, मैं सिर्फ आपसे रूलिंग लेना चाहती हूं कि मैं एक राजनीतिक पार्टी की सदस्या हूं, यह हाउस राजनीतिक पार्टियों का प्रतिनिधित्व करता है, राजनीति नहीं करेंगे तो हम यहां हैं किसलिए, यह मैं समझ नहीं पा रही हूं। .....(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): अग्रवाल जी, हम लोग जो सदन में चर्चा कर रहे हैं .....(व्यवधान)

श्री राम दास अग्रवाल: इतना क्यों डरते हैं, आर.एस.एस. से? .....(व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Agarwalji, will you please listen to me?

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: इससे मिनिस्टर आफ होम अफेयर्स का काम आसान हो जाएगा। .....(व्यवधान)

SHRIMATI MIRA DAS: Madam, she is capable of defending herself .....*(Interruptions)*.....

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Miraji, what has happened?

SHRIMATI MIRA DAS (Orissa): Madam, I think Saralaji, is capable of defending herself.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Will you listen to me for a minute? We are discussing a very important subject here. While speaking, if she is expressing her thoughts in the House, other Members should not take objection for that.

SHRIMATI MIRA DAS: She is capable of defending herself.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): I know that. When the hon. Members from this side and the other side are speaking, she is getting confused. So, it is better if you leave her alone and let her speak.

SHRIMATI MIRA DAS: That is what I am saying. She is capable of defending herself.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Saralaji, don't politicise the whole issue. Come to the point. Please go ahead.

SHRIMATI SARALA MAHESHWARI: Madam, this is how I understand this problem and I am trying to express my thoughts. If they take it with political overtones, I am helpless.

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): सरला जी आप बोलिए, आप बोलिए न, आपको बोलने के लिए किसने मना किया है? Whatever you want to say on this Resolution, you can express your thoughts here.

SHRIMATI SARALA MAHESHWARI: They are not allowing me to speak. How can I speak? .....*(Interruptions)*.....

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Now, you are being allowed by the BJP Members to speak. Please go ahead.

श्रीमती सरला माहेश्वरी: उपाध्यक्ष महोदया, मैं इस संबंध में आपकी रूलिंग चाहती हूं कि मैं यहां पर पालिटिकल बात कर सकती हूं या नहीं, यहां मुझे पालिटिकल बात करने का अधिकार है या नहीं। Why I am a Member of Parliament? मैं पोलिटिकल बात क्या नहीं कर सकती, इस पर मैं आपकी रूलिंग चाहती हूं। मैं यहां पर पोलिटिकल बात कर सकती हूं या नहीं? मगर मुझे यहां पर पोलिटिकल बात करने का अधिकार नहीं है तो व्हाई आई एम ए एम.पी.?

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): सरला जी, आप एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा करने के लिये खड़ी हैं। आपको अपने विचारों को रखने का पूरा अधिकार है। अगर बीच में कोई मेंबर बोलता है तो थोड़ा आप उसको इग्नोर कीजये और अपने विचारों को रखिये।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: मैंने इनकी बात सुनी। मैं अपनी बात कहना चाहती हूं और मैं अपनी बात बहुत शांति से कहना चाहती हूं। इसकी जिम्मेदारी आप पर है।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आपको पूरा सहयोग चेयर से मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। आप अपने विचार को रखियेगा।.....*(Interruptions)*..... Don't waste time, Mr. Gautam. I am not going to allow you. .....*(Interruptions)*..... You always get up and say something. You should allow that lady to speak. .....*(Interruptions)*..... What is wrong with you?

श्री संघ प्रिय गौतम: मैं आपसे परमीशन मांग रहा था।

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): No. I will not give you

permission at all. I have to protect the rights of women here in this House.

श्रीमती सरला माहेश्वरी: उपसभाध्यक्ष महोदया, आप भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। भारतीय संस्कृति में यह कहा जाता है .....(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं जिस बात को कहना चाहती थी .....(व्यवधान) कृपया आप सुनेंगे?

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): माथुर साहब, आपको ये सब हरकतें नहीं करनी चाहिये। गौतम जी ने हरकत की और महिला सदस्यों को डिस्टर्ब किया...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: मैं अपने साथी से बात कर रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): ठीक है, उनको बोलने दीजिये।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: आपसे मैं कहना चाहता हूं कि....

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: कहना चाहती हूं तो आप कह लीजिये, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकता, यह मैं कह रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आप मेहरबानी करके बैठ जाइये और शांति से भाषण सुनिये।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: माथुर साहब, क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप पार्टी के नेता हैं, आप अपने सदस्यों से कहें कि वे शांति बनाये रखें और बात सुनें।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): प्लीज एड्रेस टु चेयर।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: आप भी शांति से बात करिये।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): सरला जी आप चेयर को एड्रेस करिये नाट दि आनरेबल मेंबर्स।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं जिस बात की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं और आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहती थी वह यह है कि जब हम महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों और जुल्मों की बात करते हैं तो इन अत्याचारों और जुल्मों के पीछे जो एक बहुत बड़ा कारण होता है वह होता है हमारे समाज का पिछड़ापन, हमारे समाज के पिछड़पने को प्रश्रय देने वाली विचारधारा और इसीलिये मैं श्री वीरेन जे. शाह द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर जो कमियां मुझे नजर आयीं, उन कमियों के मुझे जो कारण नजर आये, उन कारणों को मैं यहां रखना चाहती हूं। शायद इस प्रस्ताव के एकांगीपन और इस प्रस्ताव के आधे-अधूरेपन का एक कारण जो इस प्रस्ताव में है, वह यह है कि इसमें हमारे सामाजिक ढांचे को नहीं छुआ गया, सामाजिक, आर्थिक ढांचे को नहीं उठाया गया और उन पुरानतपंथी विचारधाराओं को नहीं उठाया गया जो आज हमारी महिलाओं को कमजोर, असहाय और अबला के रूप में देखता है। इसके पीछे जो कारण हैं उन कारणों की पृष्ठभूमि जब मैं देखती हूं तो मुझे यह लगता है कि शायद कहीं न कहीं श्री वीरेन जे. शाह, जिस विचारधारा से वे संबंध रखते हैं, उस विचारधारा का यह कारण हो सकता है। तो यह विचारधारा, जो महिलाओं के प्रति बहुत ही प्रतिगामी विचारधारा रही है, वह कौन सी विचारधारा थी? हमारे यहां के जो समाज सुधारक थे, राजराम मोहन राय, विद्यासागर और यहां तक कि महात्मा गांधी, इन समाज सुधारकों के प्रति इनका क्या रवैया था? जो विचारधारा संघ परिवार से आती है, वह विचारधारा क्या नजरिया देती है? वह कहते थे कि यह पश्चिमी विचारक हैं, ये पश्चिम से निकलने वाले लोग हैं और ये हिन्दू समाज को कलंकित करने वाले लोग हैं। उन्होंने अपने मुख-पत्र में लिखा है हमारे निजी कानूनों में यह जो सुधार किया जा रहा है यह हिन्दुओं को कलंकित कर रहे हैं। यह हिन्दुओं के जो अधिकार हैं उनमें हस्तक्षेप कर रहे हैं और आज ये कामन सिविल कोड की बात कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदया, आज मैं जिस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं वह यह है कि किस तरह बार बार वर्ण-व्यवस्था और छूआछूत जैसी हमारे समाज की जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को प्रश्रय दिया गया।

SHRI VIREN J. SHAH: Sir, the Minister of State for Home Affairs is not here. He is supposed to be here.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WASTELAND DEVELOPMENT (COL. RAM SINGH): I am noting down the points for him, unless you have got some specific objection *.....(Interruptions).....*

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): The Minister must have gone on some very important work. I think he will be coming back within a very short period.

उपसभाध्यक्ष महोदया, इसलिए मैं यह कहना चाहूंगी कि महिलाओं के संबंध में जो नज़रिया आर.एस.एस. का था और जिस नज़रिये की झलक हमें गुरू गोलवालकर की पुस्तक "बी एंड आवर नेशन डिवाइन" पुस्तक में मिलती है, उसमें उन्होंने लिखा है, जो मैं उद्धृत करती हूं-

"जो व्यक्ति हिन्दओं को कलंकित करना चाहते हैं वे वर्ण व्यवस्था के बारे में, अंधविश्वासों, शिक्षा की आवश्यकता, सामाजिक ढांचा हमारी नारियों की दशा पर ज्यादा शोर मचाया करते हैं।"

वे विधवा विवाह के सख्त विरोधी थे। उनका कहना था, मैं कोट करती हूं-

"हमारे पुराणों में कहा गया है दूसरों की पत्नी हमारी मां के समान होती है लेकिन यदि कोई स्त्री अपनी पति को छोड़ दे या उसके पति की मौत हो जाए तो आज का कानून उसे दूसरों के पत्नी के साथ विवाह करने की अनुमति देता है। वे औरत से सिर्फ सबल शिशुओं की उत्पत्ति की आशा करते थे और नस्ल सुधार के सिद्धांत को भारतीय परम्परा का जामा पहना कर इस प्रकार पेश किया करते थे। हमारे पुरखे यह साहसिक नियम बनाने में कितने बुद्धिमान थे कि किसी भी वर्ग की महिला की पहली संतान नम्बूदरी ब्राह्मण से उत्पन्न होनी चाहिये और उसके बाद वह अपने पति की संतान को जन्म दे सकती है।"

उपसभाध्यक्ष महोदया, वर्ण व्यवस्था को वे हमारे समाज की कमज़ोरी नहीं बल्कि हिन्दू राष्ट्र की मुख्य शक्ति मानते थे। उनके शब्दों में-

"इरान, मिश्र, रोम, यूरोप तथा चीन तक के सभी राष्ट्रों को मुसलमानों ने जीत कर अपने में मिला लिया क्योंकि उनके यहां वर्ण व्यवस्था नहीं थी। सिंध, बिलोचिस्तान, कश्मीर, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश और पूर्वी बंगाल में लोग मुसलमान हो गये क्योंकि इन क्षेत्रों में बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था को कमज़ोर बना दिया था।"

यह "बंच आफ थाट्स" पेज 111 पर है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस सदन के रिकार्ड में मैं इस तथ्य को रखना चाहती हूं कि अपने भारत में आर.एस.एस. का इतिहास वह इतिहास है जिसने हमारे संविधान में उठाये गये तमाम प्रगतिशील कदमों का विरोध किया। 1949 में जब संसद् में हिन्दू कोड बिल पर बहस चल रही थी, उस समय आर.एस.एस. ने इस विधेयक के विरूद्ध भारी हंगामा खड़ा किया था। आर.एस.एस. के प्रमुख पत्र "आर्गेनाइज़र" के सम्पादकीय में साफ शब्दों में यह लिखा गया था-

"हम हिन्दू कोड बिल का विरोध करते हैं क्योंकि यह अपमानजनक विधेयक है जो विदेशी तथा अनैतिक सिद्धांतों पर टिका हुआ है। लोगों के सुनिश्चित निजी धर्म के मामले में कोई भी धर्म निरपेक्ष राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता।"

यह था आर.एस.एस. का नज़रिया। इस प्रकार शिक्षा .....(व्यवधान)

SHRI VIREN. J. SHAH: Madam, may I make a submission? Saralaji, you have a right to express your views. Now, only ten or fifteen minutes are left and during the last ten or fifteen minutes of your speech, you have been quoting from the so-called RSS books on diverse issues instead of attacking the main issue. If the Chair permits, you are entitled to do so. But, give us some indications as to how the present Resolution is *Adha-Adhura* and what else could be added to it. That would be more helpful. Otherwise, fifteen minutes are left. .....*(Interruptions)*.....

SHRIMATI SARALA MAHESHWARI: You may have your own perception of presenting things. I am having my own perception of presenting things. .....*(Interruptions)*.....

SHRI VIREN J. SHAH: I am submitting it for your consideration.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: आपकी इच्छा है आर.एस.एस. पर आक्रमण करने की तो करें और आप कर रहे हैं लेकिन आर.एस.एस. के ऊपर भाषण नहीं है, डिबेट नहीं है। डिबेट तो महिलाओं की स्थिति पर है। .....(व्यवधान)

श्रीमती सरला माहेश्वरी: महिलाओं पर बात कर रही हूं कि किस तरह से रिट्रोग्रेड आइडियाज़ हमारे समाज में मौजूद हैं .....(व्यवधान) आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं .....(व्यवधान)

श्री संघ प्रिय गौतम: आपने कुरान के बारे में नहीं कहा कि उसमें क्या लिखा हुआ है महिलाओं के बारे में .....(व्यवधान) उसके अन्दर क्या लिखा है ....(व्यवधान)

When my turn comes, I will quote these books. I will quote from Quran also. .....*(Interruptions)*.....

श्रीमती सरला माहेश्वरी: मुझे किसी से, न हिन्दू धर्म वालों से और दूसरे धर्म वालों से कोई सहानुभूति है .....(व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Saralaji, how much time are

you going to take?

SHRIMATI SARALA MAHESHWARI: I can't say.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): There are so many speakers. There is a long list of speakers before me.

SHRIMATI SARALA MAHESHWARI: If I am allowed to speak without interruption .....*(Interruptions)*.....

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): There was no interruption at all. You come to the point. Saralaji, come to the point. Please don't criticise other parties. You come to the topic. This Bill is about the atrocities being committed on the women.

श्रीमती सरला माहेश्वरी: उपसभाध्यक्ष महोदया, देखिए मेरे नजरिए में निरपेक्ष कुछ नहीं होता है। मैं आंखें बंद करके चीजों को देखना नहीं चाहती कि वे भी जिम्मेदार नहीं हैं ये भी जिम्मेदार नहीं है, हम भी जिम्मेदार नहीं हैं। चीजें अपने आप हो रही हैं। मेरा अपना नजरिया है चीजों को देखने का और मैं उसी नजरिए से चीजें रखना चाहती हूं .....(**व्यवधान**)

श्री संघ प्रिय गौतम: हम भी अनर्गल बातें सुनने को तैयार नहीं हैं.....(**व्यवधान**)

श्रीमती सरला माहेश्वरी: तो मत सुनिए .....(**व्यवधान**) आपको अनर्गल लगती है तो मत सुनिए .....(**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Gautamji, don't be so excited. Let her conclude.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: अनर्गल रख रही हैं तो उनको सुनने की हिम्मत रखिए। उनको कहने दीजिए .....(**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): मेरा तो आपसे यही निवेदन रहेगा कि उनके मन में कुछ बातें हैं और कहने के लिए तो लेट हर स्पीक आउट। उसमें आपके एक्साइट होने का क्या कारण है। ठीक है वे अपने विचारों को रख रही हैं .....(**व्यवधान**) बोलिए।.....

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: .....(**व्यवधान**) उनका पार्टी प्यू है वे जो कह रही हैं अनर्गल है तो भी उसको बर्दाश्त करो। क्या बात है.....(**व्यवधान**)

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सहनशक्ति रखिए .....(**व्यवधान**)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: इसलिए उनको कह रहा हूं कि अनर्गल बातें भी सुनने की हिम्मत रखें, सहन करो। दुनिया में इतना अनर्गल है, गंद है .....(**व्यवधान**) यह भी बात है.....(**व्यवधान**)

श्रीमती सरला माहेश्वरी: जिस भाषा में आपके लोग समझ सकते हैं समझाइए .....(**व्यवधान**) मुझे खुशी होगी। जिस भाषा में समझ सकते हैं.....(**व्यवधान**)

महोदया, मैं बहुत जल्दी से खत्म करना चाह रही हूं।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आपका जब तक कि एड्रेस द चेयर नहीं होगा, उनसे बात करती ही रहेंगी तो आपकी बात जल्दी खत्म नहीं होगी।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: मैं जिस बात की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं वहां पर चर्चा रुकी हुई थी कि किस तरह से धार्मिक और धार्मिक तत्ववाद और ये पुरातनपंथी विचारधाराएं महिलाओं के शोषण का एक कारण बनती हैं .....(**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Gautamji, no running commentary please. Please don't interrupt. She is competent enough. Let her conclude.

श्रीमती सरला माहेश्वरी: उपसभाध्यक्ष महोदया, इसका एक प्रतिरूप हम इस्लामिक तत्ववाद के रूप में देखते हैं। जो तत्ववाद बंगलादेश में एक महिला लेखिका की जान लेने पर उतारू है। मुस्लिम तत्ववाद की या इस्लामिक तत्ववाद की जो विचारधारा है वह किस तरह से आज महिलाओं को पिछड़ा रखने में और महिलाओं पर जुल्म और शोषण का कारण बन रही है, उसको भी हम अपनी नजरों से ओझल नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए मैं जिस बात को कहना चाहती हूं वह है कि हम जब औरतों पर अत्याचार और जुल्म या औरतों पर होने वाली घरेलू हिंसा, सामाजिक हिंसा, आर्थिक और राजनैतिक हिंसा के परिप्रेक्ष्य को समझना चाहते हैं तो उस परिप्रेक्ष्य को हमें बड़ी गहनता के साथ बड़ी गम्भीरता के साथ समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए श्री वीरेन जे. शाह ने जो चंद सुझाव हमारे सामने रखे हैं मैं समझती हूं कि वे सुझाव भी अहम हैं, उनका भी महत्व है लेकिन उनके साथ ही अगर हम इस समस्या के आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य को सामने रखकर इस समस्या को देखने की कोशिश करें तो कुछ और बिंदुओं को उसमें जोड़ना चाहिए, कुछ और बिंदुओं को हमें गहराई से समझना चाहिए .....(**समय की घंटी**) क्या कारण है कि आज तक महिलाओं के लिए इतनी सारी कमेटियां बनायी गयीं, कमेटी आन स्टेट्स आफ वीमेन, नेशनल परसपेक्टिव प्लान

फार वीमेन.....

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): सरला जी, आपने अपना भाषण 3 बजकर 34 मिनट पर शुरू किया है और अब साढ़े चार बज रहे हैं मतलब 4 बजकर 25 मिनट हुए हैं.....

श्रीमती सरला माहेश्वरी: मैं दस मिनट में खत्म कर रही हूं।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): इस गति से हम लोग चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बाकी दूसरे किसी वक्ता का भी नम्बर आएगा।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: मैं तो बहुत तेजी से भागना चाहती थी लेकिन इतने व्यवधान आए .....(**व्यवधान**) उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं इस बात को कहना चाहती हूं कि इतनी कमेटियां बनीं, कमेटी आन स्टेटस आन वीमेन, नेशनल परसपेक्टिव प्लान फार वीमेन और महिलाओं की मांग पर राष्ट्रीय महिला आयोग भी बन गया लेकिन इसके बावजूद हकीकत यह है कि महिलाओं की स्थिति में मूलभूत सुधार नहीं हुआ और आज उल्टा इस वैश्वीकरण और खुले आकाश की नीति के चलते हमारे जन संचार माध्यम जिस तरह से महिलाओं को पेश कर रहे हैं, जिस अप-संस्कृति का वे धड़ल्ले से प्रचार कर रहे हैं वह अप-संस्कृति .....(**व्यवधान**) एक तरह से महिलाओं के शोषण का एक और कारण हो सकती है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैक्सवैल कमीशन ने यह कहा था....(**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): प्लीज़ कनक्लूड।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: मैं कनक्लूड कर रही हूं। जनसंचार माध्यम हालांकि महिलाओं की मूलभूत सामाजिक, आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते लेकिन वे इस प्रक्रिया को या तो त्वरित कर सकते हैं या बाधित कर सकते हैं। मैं यह कहना चाहूंगी कि हमारे जन संचार माध्यम आज महिलाओं की इस आधुनिक समाज में जिन नए मूल्यों को महिलाओं के लिए स्थापित किया जाना चाहिए था, जिन नए मूल्यों की पैरोकारी की जानी चाहिए थी, हमारे जन संचार माध्यमों के द्वारा उन महिलाओं की पैरोकारी न करने की बजाय हमारा मीडिया, हमारे जन संचार माध्यम उसी पुरातनपंथी विचारधारा को एक ओर प्रश्रय दे रहे हैं और दूसरी तरफ उपभोक्तावादी संस्कृति का धड़ल्ले से प्रचार कर रहे हैं और महिला को एक कमोडिटी के रूप में, एक वस्तु की तरह दिखाना चाहते हैं। इसलिए उपसभाध्यक्ष महोदया, यह जरूरी है कि आज हम इन तमाम पहलुओं को समझते हुए, कुछ चीज़ें मैं कहना चाहूंगी कि क्या कारण है कि आज तक महिलाओं के विकास के लिए एक समग्र पालिसी नहीं बन पाई, एक इंटीग्रेटेड पालिसी हमारी सरकार बना नहीं पाई। हम बातें करते हैं लेकिन आज तक यथार्थ में किसी भी योजना के साथ महिलाओं को जोड़ा नहीं गया। इसलिए महिलाओं के विकास के लिए अगर हम चाहते हैं कि महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति में सुधार हो, महिलाओं पर अत्याचार और जुल्म बंद हों तो सब से पहले यह जरूरी है कि महिलाओं के लिए एक समग्र विकास योजना बनाई जाए और इसके साथ ही श्री वीरेन जे. शाह जी ने जो प्रस्ताव रखे हैं उन प्रस्तावों के साथ ही मैं कुछ मुद्दों को और जोड़ना चाहूंगी।

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Now, it is not possible for me because there are so many other speakers

.....*(Interruptions)* आपने एक घंटा लिया है, बाकी लोग भी तो इंतजार में बैठे हुए हैं कि हम भी इस विषय में कुछ बोलना चाहेंगे।...(**व्यवधान**)

श्रीमती सरला माहेश्वरी: अगर आप अनुमति दे दें तो मैं...(**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): नहीं, मैं अनुमति नहीं देना चाहूंगी, आप एक घंटा ले चुकी हैं। आपने एक घंटे तक अपने विचारों को इस सदन के सामने रखा है, इसलिए अब मैं आपको सिर्फ दो मिनट और दे सकती हूं।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: बस दो मिनट में मैं खत्म कर दूंगी।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): दो मिनट में अगर आपने कनक्लूड नहीं किया तो I will call the next speaker.

श्रीमती सरला माहेश्वरी: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ नुक्ते और जुड़वाना चाहूंगी। मेरा पहला नुक्ता यह है कि हमारे कानून में व्यापक सुधार की तो जरूरत है जिसमें काम के साथ-साथ औरतों को सैक्सुअल हैरासमेंट से बचाया जा सके और इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगी कि मालिकों को काम के स्थल पर ऐसे परिवेश बनाने की बाध्यता होनी चाहिए जिससे कि औरतों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के उत्पीड़न का सख्ती से मुकाबला किया जा सके। संगठित और असंगठित सभी क्षेत्रों में महिला कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन निश्चित किया जाना चाहिए और यह प्रावधान यहां तक कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर भी लागू होना चाहिए। चूंकि औरतों पर होने वाले जुल्मों का बहुत गहरा संबंध उनकी आर्थिक स्थिति से होता है इसलिए

संपत्ति में उनके अधिकार की बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। इसलिए इस दिशा में कुछ ठोस कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। मसलन सरकार देहाती या शहरी क्षेत्रों में जमीन के पट्टे, घर या अन्य किसी भी प्रकार की जो सहायता प्रदान करे वह पति और पत्नी दोनों के नाम करे। महिलाओं का संपत्ति में उनका उतना ही अधिकार होना चाहिए तथा पुरखों की संपत्ति या अपने द्वारा आर्जित संपत्ति में उनका उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना पति या भाइयों का होना चाहिए। विवाहित जीवन के दौरान तैयार की गई संपत्ति पर पति-पत्नी दोनों का समान अधिकार होना चाहिए। समाज के सभी एवं दलित वर्गों की जो एक महत्वपूर्ण मांग है उसे मैं औरतों के संदर्भ में फिर दोहराना चाहूंगी। काम के अधिकार को हमारे संविधान के मूलभूत अधिकारों में शामिल किया जाना चाहिए। जहां तक बलात्कार, छेड़छाड़ ये सारे हमलों से संबंधित कानूनी प्रावधानों का प्रश्न है इनकी सही परिभाषा की जानी चाहिए ताकि इससे संबंधित मुकदमों को प्रमाणित करते समय हमें दिक्कत न हो। छेड़छाड़, मोलेस्टेशन, ईवटीज़िंग को सही तरह से परिभाषित किया जाना चाहिए। पुलिस या सशस्त्र बलों द्वारा किए जाने वाले...(**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Your time is over. I am going to call the next speaker.

श्रीमती सरला माहेश्वरी: लास्ट प्वाइंट है।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): लास्ट प्वाइंट है, लेकिन you have already consumed the extra one-and-a-half minutes....*(Interruptions)* I gave her two minutes more.

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सैक्सुअल एसाल्ट को एगरावेटेड सैक्सुअल एसाल्ट की श्रेणी में रखा जाना चाहिए और इसी तरह राजनीतिक नेताओं द्वारा किए जाने वाले अपराध को भी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही श्री वीरेन जे. शाह जी ने यह जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर हम सदन में चर्चा कर रहे हैं। धन्यवाद।

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Madam, I rise to speak on the Resolution moved by my hon. colleague from BJP, Shri Viren J. Shah. I don't consider this to be a BJP document just because it has been moved by my colleague from the BJP. And, I am going to not only support this Resolution, but also say that there will be no person in this House who in his proper senses will oppose this Resolution because this Resolution speaks of the national malady, of a bad psyche and its effects which the nation is suffering from.

We fought for our freedom against the colonial rule and we liberated ourselves in 1947. But, I think, we didn't free ourselves. We gave ourselves only political freedom. We do not have social freedom. We do not have economic freedom.

My hon. colleague has mentioned in this Resolution incidents of rape, molestation, abduction, kidnappings and other atrocities being committed on women. I think, we have to hang our heads in shame.

We always boast that ours is a democracy and we gave equal status to women in 1947. But there are other countries, in Europe, for example, Switzerland, where the women could not vote until 1977 and they did not have any political freedom, but they did have social freedom.

So, I would like to compliment my hon. colleague for moving this Resolution. I don't think this is a Bill or in the form of a Bill. It is only a Resolution. It cannot be in the Statute. It is only a recommendation to the Government just to have some 'Dos and Donts'.

Madam, we are the Council of States. Law and order being a State subject, it is appropriate for this hamber to talk about it and draw the attention of the nation to our social obligations.

Now, again, we say we have given to ourselves this Constitution. We have the best of the Constitutions. But I am going to ask some questions. Do we also have better governance? We have the best of laws. Do we have proper justice? I think, it is high time that the nation woke up and we looked at the malady that is facing our country.

When we open a newspaper in the morning, we see that disorder is the order of the day. And, I think it is not the politicians only who have to wake up; I think there is something wrong with the society also. You cannot separate the political element of the society and just pinpoint that they are only responsible. We speak about the atrocities committed by our police forces, paramilitary forces and defence forces. I think, we have some drawbacks in our system. We have

some loopholes in our laws. I think, we have the colonial hang-over because we still have all those statutes, all those laws and all sorts of attitudes which were being practised by the colonial power. They did all this. They used to police force. They committed brutality on the people who wanted to fight for freedom and who aspired to see a free nation.

So, Madam, I think, it will be proper to see it that these laws are amended. Our Police Act is very obsolete and old because we have still given them unlimited power to go and arrest anyone. Custodial deaths have become the order of the day. There is torture in the prisons. Of course, I don't blame the police force. Not that I want to absolve them of their duties. But the very people who are responsible to maintain law and order are the people who break it.

Therefore, Madam, I think we have to have two sets of laws. For example, in our country, for rape the imprisonment is only for 10 years. While some advanced countries of Europe, like ...I was reading in a newspaper the other day that--France has already amended its law where for rape the punishment is death sentence. Then, we see in our country that minors are raped and the people get away with it...*(interruptions)*....

I am going to talk about it. I am going to talk whether the judiciary is fulfilling its social obligation because it is not only that we can have the laws, the people who enforce the law are the people who perpetrate crimes and we deal with them just as normal criminals. I think the laws have to be different. If the people who maintain the law and order are involved in crime, I don't think they should be equated with the criminals. I think we have to have some changes in the statute. We have to amend our laws. We have to modify our laws. We have to codify our laws. We have to see that we come forward with serious punishment, particularly for those people who are the custodians of law.

I hope the hon. Minister will see to it that some legislation is brought in where our laws are amended and our Police Act is amended.

Madam, I was mentioning that the penalty for rape should be 'death sentence'. More so, when we see young children, infants who cannot defend themselves, are being raped and tortured and the whole country is just watching. It is high time that we had a different type of law for those people—the social delinquents who are a burden on the society. They should have no right to live in the society. I would recommend to the Government that some legislation should be brought. Madam, the law in our country are such that for any crime that is committed, a case has to be filed with the police, the prosecution is to be briefed and these are the people who connive with the criminals, they connive with the offenders and ultimately they get away with it. The moment a person is raped, she is debarred from the society and it is very, very difficult for her to get the criminal convicted. Unless this case is examined in-camera, unless you have special courts, unless you have given a direction to the judiciary that this case has to be decided within a certain time-frame, I don't think our laws will take us anywhere. Our laws have just become an apostle of statutes. they have no force, they have no sanctity and they have no teeth. I would suggest to the hon. Minister that whatever has been mentioned by my hon. colleague in his resolution, it is very apt that we should rise to the occasion because they have to wake up because we can't allow this aberration of the society. I think after some time, our society will just rot and get into several problems.

Madam, I was talking about custodial rapes. The other day, the Minister was mentioning that he had amended Section 364 (a) of the IPC regarding kidnapping. We have a similar law and we have Section 375 regarding rape and it becomes very, very difficult for a prosecution to prove the guitly of the convict. We can't totally rely on the obsolete legal system where you get a witness and put him in the witness box. In this way you humiliate the victim more and more and the criminal gets away scot-free. So I would request the hon. Minister to see that these laws are amended. We often talk about life imprisonment but, I don't think life imprisonment in this country exceeds 10 to 13 or 14 years.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: We are lucky if he doesn't bring any influence.

English translation of the original speech in Oriya.

SHRI JOHN F. FERNANDES: Yes, you are right, that he brings some influence. I think, we have made a mockery of our whole system in the name of democracy. In other democracies like America which is the oldest democracy, life imprisonment is for 30, 40 and even 50 years and that is the real life imprisonment. So, unless we come up with some deterrent punishment for such crimes, I think, we are just making a mockery of our laws and we are perpetuating more and more crimes on defenceless people, the minor and the women. So I think, we have to give a thought to it and see that we do something about it before it is too late.

Madam, we have a lot of laws which are meant for citizens. But, we can't explain the laws to the citizens because the majority of them are illiterate. They don't know what law is. These laws, these statutes are not meant only for the lawyers, the white-collar people and the educated people who constitute a microscopic minority in the country. These laws are to be explained to the people and the only way to explain to these people, the illiterate people, is to use the electronic media because they should know what the procedure is, what is to be done and what is not be done, when there is a rape; otherwise you have the law.

The other day, I was returning from Japan. When I came, I had a friend with me. He was told by the customs officer that he would have to pay duty for a certain item. But, my friend told him, "Now the laws are liberalised". The customs officer said, "Then you should have a copy of the law. How can you quote law."

Madam, even educated people get fooled by the agencies. I think it will be proper if we educate the people on the laws of the country. With regard to the teeming millions who are ignorant, who are exploited and who are very innocent, I hope that some caution will be taken, and I also hope that the Minister will see that this suggestion is considered.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Free and compulsory education for all will have to be given.

SHRI JOHN F. FERNANDES: It will take time. Free and compulsory education for all will take a lot of time. Before education, we cannot allow atrocities to be committed on them. Against this there must be a stopgap arrangement. My suggestion to the Government is that our people, the teeming millions should be trained. They should be forewarned. They need not be educated to read and write. They can understand whatever language we speak. I think the electronic media should be used since we have the electronic media. Since we started it from the Asiad, I think we have done wonders, specially in our agriculture and other sectors. So, Madam, I support this resolution. I do not think we are going to pass this because this is not a Bill. This is only a Resolution to arouse the conscience of the nation. I hope the whole House will wholeheartedly support the Resolution and the Minister will take due note of this and come with some amendments to the statute, specially making crime against women, rape, etc. especially minors, severaly punishable. Another point is that there should be different laws for the law enforcing agencies and there should be more serious laws, I mean, penalties for the law enforcing agencies and, of course, there should be similar laws also for the criminals.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Thank you, Fernandesji. Mrs. Mira Das.

SHRIMATI MIRA DAS (Orissa): Madam, I do not know whether translation is available because I want to speak in my own language, Oriya.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): I think the translation is available. The Oriya translator is sitting there.

SHRIMATI MIRA DAS: (Spoke in Oriya)* Madam, Vice Chairman, I rise to support the Resolution moved by my colleague Shri Viren J. Shah in this august House. This is a very important Resolution, because it has not only presented the problem of the attrocities on women in the society but also suggested solution to this Problem. Undoubtedly this Problem is very serious and it will take a lot of time before it is solved completely.

Madam, Vice-Chairman, the pages of Indian history before Independence are full of incidents of atrocities, torture and exploitation of women by the foreign invaders who have invaded India from time to time. In the past women have

always been a target of the British, the Muslim and the Moghul invaders in India. They have been subjected to untold suffering, atrocities and torments at the hands of insensitive and cruel men not only in the past but also at present time.

It is unfortunate that our social system, tradition and Custom have to a great extent contributed in perpetuating the atrocities on women in the society. Now the time has come to remove all the demerits of our age-old traditions and superstitious customs of the society. The so-called religious leaders are responsible for misguiding the society. Religious scriptures have been conveniently misinterpreted in order to give a secondary position to women in the society. Now the time has come to rise to the occasion and remove all the demerits of the man-made social systems and bring a revolutionary and scientific change in the thought-processes of the people towards the status of women in the modern society. Then only we will be able reduce the atrocities on women to a great extent. The father of the nation Mahatma Gandhi gave us political freedom. He emphasized on womens' emancipation and self-dignity in the society. The individual rights and equality of women only exist in the Indian Constitution. Unfortunately our present Political leaders are not at all giving any importance to the ideals of Gandhiji ...*(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Mrs. Mira Das, Please reduce your speed...

SHRIMATI MIRA DAS: Madam, Vice Chairman, had Gandhiji not been born in India it would have been impossible for you as a women to preside and for me as a woman to speak as a Member of Parliament in this august House. Gandhiji has changed the angle of thought of the Indians at large.

Madam, vice-Chairman, we talk of the influence of western culture on our Indian culture. Madam, in fact in the ancient India woman emjoyed a superior and dignified status in the society. In fact, women in India enjoyed freedom much before the Western countries thought about it. We have to change ourselves under the changed global circumstances and ensure womens' emancipation and equality in our society. Now the time has come to give a fresh look at the series of legislation passed by Parliament, which are supposed to ensure better status and position to women in the society. Are our women really secure and free from atrocities? We have to think over this problem afresh. Provisions of law cannot give equality to women, unless they are implemented in right earnest. We have set up many Committees and Commissions to go deep into the problem of women in the society. But that is not enough. What is required is a thorough change in the outlook and attitude of man towards woman. Even our age-old joint family system has many demerits. We have to remove those demerits and preserve this system. Similarly we have to remove the demerits in the social system and maintain a healthy society for the benefit of human beings. Now a days we witness a bankrupcy in the commitment and ideology of our political and social leaders. The youths of the country are being misguided. We politicians are also no less misguided. Petty and narrow political and personal considerations influence our decisions. undue political pressures are sometimes put to save criminals. The nexus between politicians and criminals is a common knowledge. The children of politicians and top bureaucrats are never punished for their crimes. It is a sad state of affair. Madam, we believe that education to women shall help in removing many evils of the society. But in my opinion the present educational system will not help much in this regard. My colleague Mr. Ahluwallia was referring to the decline in the values and standard of Indian cinema. Educated boys and girls are responsible for this deterioration in the standard of cinema. There are a lot of sex and violence in the cinema. Only, that education which can reform the society will be acceptable to us. During the Question Hour today the hon'ble Minister of Human Resource Development was answering question on women education at the University level. The achievement in this regard is not at all upto satisfaction. The government should give special emphasis on womens' education both at the Primary and the higher level.

Madam, our leaders are unfortunately giving cheap slogans in order to draw the attention of the masses. We should stop playing

the politics of vote. We should be very clear cut in our policies towards the social evil like 'Sati'. Widow-marriage should be encouraged. But unfortunately some vested interest oppose widow- marriage. The common people should be made aware of the evils gripping our society. The resolution moved by my colleague Mr. Shah expresses this Problem in great detail.

Madam, women constitute half of the humanity. Therefore we should resolve not to disable this part of the body.

When a member of a family dies we feel sad and shed tears over his death. But now we see members of a family are feeling extremely sorry over the birth of a female child. Female child is now, unfortunately, considered to be a permanent liability for the family. What is required is a thorough and revolutionary change in the whole attitutde of the people and society towards the problem of women. I want that cutting across party lines the members of all Political parties to support this important Resolution by Mr. J. Viren Shah.

We should stop blaming each other and start working in this direction. We have to achieve it with patience and commitment.

I thank you Madam, vice-Chairman for giving me this opportunity to speak on the Resolution.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Madam, this is one of the important resolutions brought before this House to highlight the crimes committed against women. The hon. Member has not only mentioned about the atrocities committed against women but has also given suggestions on how we can rectify the malady.

Madam, first, we have to go through the reasons. Then we can find the remedy. This problem cannot be tackled by legal aspects alone. That is what I feel. Already, in India, sufficient laws have been enacted from 1860 to 1994. The process started in 1835, I think, and in 1860 they came into force. During these 130 years from 1860 to 1994 the crimes have not come down. I do not want to quote the statistics becuase most of the cases are not at all reported to the police and they do not come to light. If we rely upon the statistics based on the cases registered, we will cheat ourselves. Therefore, I do not want to give the figures.

I want to say that crime are committed against women even in police custody. That is the problem. how does the police behave? Madam, Sir Robert Mark was a person with remarkable experience. I quote from this book:

> "In this context, the Commission can do not better than quote from one of the speeches of Sir Robert Mark, ex-Commissioner of Police, London."

The relevant thing that he has said about the police is:

> "Our authority under the law is stricltly defined, and we are personally liable for the consequences whenever we invoke it. We play no part in determining the guilt or punishment, and our accountability to the courts, both criminal and civil, to local police authorities, to parliament and to public opinions is unsurpassed anywhere else in the world. In the legal and constitutional framework in which society requires us to enforce the laws enacted by its elected representatives, the most essential weapons in our armoury are not fire-arms, water cannons, tear gas or rubber bullets, but the confidence and support of the people on whose behalf we act."

This is what, Sir robert Mark, the ex-Commissioner of Police, London, has said. We want to know whether the Indian police has got this type of confidnece of the public. From kashmir to Cape Comorin it is not so.

SHRI V. NARAYANASAMY (Poindicherry): you say "Kanyakumari."

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Yes, Kanyakumari. I stand corrected. For example, in Tamil Nadu, a person was arrested for some reason better known to the police only. He was kept in the police station for enquiry. His wife went there to give him food. She was also arrested. She was stripped in the police station, and she was gang-raped in the presence of her husband and others in the police station itself. This was in Annamalai Nagar in Chidambaram. The same type of atrocities were committed in the Vallalar District, in

muthandikuppam also. Even a small boy was actually killed recently in a police station in the Madras City itself. In all these plaaces, in Annamalai nagar in Chidambaram, in Orathanadu in the Tanjavur District, custodial deaths and rapes have occurred in the police custody itself. We found that these are only three or four in number. When I mention three or four, please do not think that only three or four cases have happened. This number has only come to the notice of the public. I want to make it very clear that this type of rape that is committed in the police custody can be dealt with severly by law. That is what I feel. But it is not so. The crimes committed from 1956....

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Mr. Virumbi, would you yield for a minute? Are you going to conclude today? There is hardly any time left now.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: I have just started, Madam.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): That means you would like to continue. I would like to take the sense of the House that...

SHRI VIREN J. SHAH: Madam, this Resolution may be carried over to the next session.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: This Resolution may be continued in the next session.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): That is why I said, "Let me take the sense of the House." There is a long list of Members who would like to participate in the debate. So, I think we would take this for the next session. Is it all right? Mr. Virumbi, you can continue you speech in the next session. I would now like to take up the Special Mentions admitted for today.

श्री रामदास अग्रवाल: जीरो अवर के जो पेंडिंग हैं चेयरमैन साहब ने कहा था कि वह आज लिया जायेगा। (व्यवधान) 6 लोगों को बोलना है अभी। (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): It is written here that Zero Hour Mentions we would take up on Monday. So, I would like to take up now the Special mentions admitted for today.

SPECIAL MENTIONS

Renaming of National Highway No. 10 (from Delhi to Sirsa) After Maharaja Aggarsen

श्री रामजी लाल (हरियाणा): उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं नेशनल हाईवे नम्बर 10, जिसका नाम हिसार-सिरसा है इसके नाम के परिवर्तन के लिए और महाराजा अग्रसेन मार्ग रखने के लिए ही मैंने यह स्पेशल मैंशन दिया है। इस नेशनल हाईवे पर जिला हिसार में अग्रवाधाम पर हजारों साल पहले महाराजा अग्रसेन राज करते थे। महाराजा अग्रसेन की राजधानी अग्रवाधाम बहुत बड़ा शहर होता था उस जमाने में। वहां एक लाख घर थे। इस एक लाख घर से महाराजा अग्रसेन के राज से असली समाजवाद शुरू हुआ था। महाराजा अग्रसेन से जब कोई शहर में आकर यह प्रार्थना करता था कि इस शहर में मैं आबाद होना चाहता हूं तो वहां यह परम्परा थी, यह सिद्धांत था कि महाराजा को एक ईंट और एक रुपया हर घर वाला देता था और जो आने वाला आबाद होता था वह एक लाख ईंटों से घर बनाता था और लखपति बन जाता था। ऐसी परम्परा उस समय की थी। यहां से अग्रवाल समाज की उत्पत्ति हुई। अग्रवाल समाज सारे भारतवर्ष में ही नहीं सारे विश्व में फैला हुआ है। उनकी बड़ी भारी आस्था है अग्रवाधाम पर। पिछले दिनों 7 अगस्त को आदरणीय चौधरी भजन लाल, मुख्य मंत्री हरियाणा ने वहां पर मेडिकल कालिज का उद्घाटन किया था जो अग्रवाल समाज की ओर से बनाया गया था। उस फंक्शन में सारे भारतवर्ष से आये हुए अग्रवाल भाइयों ने यह मांग रखी थी कि इस नेशनल हाईवे नम्बर दस का नाम महाराज अग्रसेन के नाम पर रख दिया जाए। इसके लिए मुख्य मंत्री महोदय ने यह कहा था कि यह सेन्टर का सब्जेक्ट है मैं सेन्टर को लिखूंगा। उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, हमारे अग्रवाल भाइयों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इस मार्ग का नाम महाराज अग्रसेन के नाम पर रखा जाए।

दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं और आप भी समझते हैं कि नम्बर दस और नम्बर तेरह कोई भी आदमी अपने घर का नम्बर नहीं रखना चाहता, होस्पीटल का नम्बर भी नहीं रखना चाहता, गाड़ी का नम्बर भी नहीं लेना चाहता। मैं समझता हूं इस दस नम्बर को यहां से हटाकर अगर महाराजा अग्रसेन मार्ग कर दिया जाए तो बड़ी भारी इसमें अग्रवाल समाज के भाइयों की हौसला हफजाई होगी। इसके अलावा महाराज अग्रसेन के कुशल समाज, सही अर्थों में सोशलिज्म की उत्पत्ति वहीं से हुई थी, हमारी सरकार की भी यही